संलग्नक-5

वर्ष 2012–13 हेतु प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित फुटकर भांग दुकानों के लिए जनपदवार निर्धारित भांग की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का विवरण :–

कमांक	जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु निर्धारित भांग की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा	कमांक	जनपद का नाम	वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु निर्धारित भांग की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा
1	2	3	4	5	6
1	वाराणसी	41540	39	बुलन्दशहर	4060
2	चन्दौली	6114	40	गाजियाबाद	3660
3	गाजीपुर	4520	41	पंचशीलनगर (हापुड़)	0
4	जौनपुर	5980	42	गौतमबुद्धनगर	1000
5	इलाहाबाद	22063	43	मुरादाबाद	2016
6	कौशाम्बी	6200	44	भीमनगर (चन्दौसी)	1650
7	फतेहपुर	15600	45	जे0पी0नगर	388
8	प्रतापगढ़	4285	46	रामपुर	0
9	मिर्जापुर	13500	47	बिजनौर	1110
10	सोनभद्र	15210	48	सहारनपुर	1740
11	सन्त रविदास नगर	4800	49	मुजफ्फर नगर	1450
12	आजमगढ़	2540	50	प्रबुद्धनगर (शामली)	610
13	बलिया	1200	51	बरेली	4760
14	मऊ	1325	52	बदायूँ	1050
15	गोरखपुर	4300	53	पीलीभीत	2340
16	देवरिया	322	54	शाहजहांपुर	4500
17	महराजगंज	460	55	आगरा	28430
18	कुशीनगर	278	56	फिरोजाबाद	5150
19	बस्ती	930	57	मथुरा	43536
20	सिद्धार्थनगर	354	58	मैनपुरी	2340
21	सन्त कबीर नगर	183	59	अलीगढ़	5731
22	लखनऊ	13500	60	महामायानगर	5750
23	हरदोई	13690	61	एटा	1736
24	खीरी	7880	62	काशीराम नगर	2160
25	रायबरेली	12513	63	कानपुर नगर	46000
26	सीतापुर	10500	64	रमाबाईनगर	3216
27	उन्नाव	16240	65	इटावा	3150
28	छत्रपतिसाहूजी महराजनगर	2547	66	औरैया	3251
29	फैजाबाद	3288	67	फर्रूखाबाद	2832
30	बाराबंकी	1400	68	कन्नौज	1590
31	सुल्तानपुर	1840	69	झांसी	11200
32	अम्बेडकर नगर	1572	70	जालौन	3300
33	गोण्डा	3384	71	ललितपुर	2760
34	बहराइच	1330	72	बांदा	4400
35	बलरामपुर	656	73	चित्रकूट	1800
36	श्रावस्ती	360	74	हमीरपुर	4300
37	मेरठ	5170	75	महोबा	2450
38	बागपत	1586		प्रदेश योग		464576

नोटः—रामपुर एवं नवसृजित जनपद पंचशील नगर में भांग के अनुज्ञापन न होने के कारण एम0जी0क्यू0 शून्य है।

(महेश कुमार गुप्ता)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश

कमांक	जनपद का नाम	देशी शराब	विदेशी मदिरा	बीयर	भांग	माडल शाप्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
53	फिरोजाबाद	0	16	16	0	1
54	मथुरा	0	7	8	3	1
	आगरा प्रभार	**0**	**27**	**31**	**3**	**2**
55	अलीगढ़	0	4	2	0	0
56	महामायानगर	0	5	4	0	0
57	काशीरामनगर	0	4	5	0	0
	अलीगढ़ प्रभार	**0**	**13**	**11**	**0**	**0**
58	रमाबाईनगर	0	8	8	0	0
59	इटावा	0	3	8	0	0
60	औरैया	1	3	2	0	0
61	फर्रूखाबाद	0	4	3	0	0
62	कन्नौज	0	4	6	0	1
	कानपुर प्रभार	**1**	**22**	**27**	**0**	**1**
63	झांसी	3	5	7	0	0
64	जालौन	0	6	8	0	0
65	ललितपुर	5	8	6	2	1
	झांसी प्रभार	**8**	**19**	**21**	**2**	**1**
66	बांदा	1	2	3	0	0
67	चित्रकूट	0	4	3	0	0
68	हमीरपुर	0	4	4	0	0
69	महोबा	0	1	1	0	0
	चित्रकूटधाम प्रभार	**1**	**11**	**11**	**0**	**0**
	आगरा जोन	**10**	**92**	**101**	**5**	**4**
	प्रदेश योग	**241**	**321**	**346**	**71**	**21**

नोटः नवसृजन हेतु प्रेषित प्रस्तावों में उल्लिखित प्रास्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जायेगा।

(महेश कुमार गुप्ता)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश

कमांक	जनपद का नाम	देशी शराब	विदेशी मदिरा	बीयर	भांग	माडल शाप्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26	सुलतानपुर	0	5	4	0	1
27	बाराबंकी	5	12	6	0	0
28	अम्बेडकरनगर	0	2	2	0	0
29	छत्रप्रति शाहूजी महराजनगर	0	2	2	0	0
	फैजाबाद प्रभार	**5**	**21**	**16**	**3**	**1**
30	गोण्डा	0	3	3	0	0
31	बहराइच	0	2	10	0	0
32	बलरामपुर	0	1	2	0	0
33	श्रावस्ती	0	4	6	4	0
	देवीपाटन प्रभार	**0**	**10**	**21**	**4**	**0**
	लखनऊ जोन	**22**	**69**	**58**	**33**	**1**
34	मेरठ	16	8	3	0	0
35	बागपत	9	0	0	0	0
36	बुलन्दशहर	10	5	7	0	0
37	गाजियाबाद	23	9	5	0	0
38	पंचशील नगर(हापुड़)	8	7	4	0	0
39	गौतमबुद्धनगर	16	10	20	0	0
	मेरठ प्रभार	**82**	**39**	**39**	**0**	**0**
40	मुरादाबाद	12	4	2	0	0
41	भीमनगर (चन्दौसी)	8	2	2	1	0
42	ज्योतिबा फुले नगर	8	7	3	0	0
43	रामपुर	7	3	2	0	0
44	बिजनौर	6	1	6	0	0
	मुरादाबाद प्रभार	**41**	**17**	**15**	**1**	**0**
45	सहारनपुर	4	0	0	0	0
46	मुजफफरनगर	7	2	2	0	0
47	प्रबुद्धनगर (शामली)	2	2	1	0	0
	सहारनपुर प्रभार	**13**	**4**	**3**	**0**	**0**
48	बरेली	11	3	0	0	0
49	बदायूं	14	1	4	0	0
50	पीलीभीत	20	0	1	6	0
51	शाहजहांपुर	14	1	0	0	0
	बरेली प्रभार	**59**	**5**	**5**	**6**	**0**
	मेरठ जोन	**195**	**65**	**62**	**7**	**0**
52	आगरा	0	4	7	0	0

प्रदेश के जनपदों से वर्ष 2012-13 के लिए प्राप्त देशी शराब/विदेशी मदिरा,बियर, भांग एवं माडल शाप्स की नवसृजित दुकानों की संख्या का जनपद वार विवरण						
क्रमांक	जनपद का नाम	देशी शराब	विदेशी मदिरा	बीयर	भांग	माडल शाप्स
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	वाराणसी	0	7	5	7	2
2	चन्दौली	0	13	6	8	0
3	गाजीपुर	0	7	5	0	0
4	जौनपुर	0	4	7	0	0
	वाराणसी प्रभार	**0**	**31**	**23**	**15**	**2**
5	इलाहाबाद	0	8	4	6	5
6	फतेहपुर	0	6	9	0	0
7	प्रतापगढ	0	6	3	0	0
	इलाहाबाद प्रभार	**0**	**20**	**16**	**6**	**5**
8	मिर्जापुर	0	4	3	0	0
9	सोनभद्र	2	0	1	0	0
10	सन्त रविदास नगर	0	4	8	0	0
	मिर्जापुर प्रभार	**2**	**8**	**12**	**0**	**0**
11	आजमगढ	0	0	12	5	0
12	बलिया	7	2	3	0	1
13	मऊ	0	2	3	0	2
	आजमगढ़ प्रभार	**7**	**4**	**18**	**5**	**3**
14	गोरखपुर	3	8	4	0	3
15	देवरिया	0	2	8	0	1
16	महराजगंज	0	5	3	0	0
17	कुशीनगर	0	7	10	0	0
	गोरखपुर प्रभार	**3**	**22**	**25**	**0**	**4**
18	बस्ती	0	5	5	0	1
19	सिद्धार्थनगर	2	5	7	0	1
20	सन्त कबीर नगर	0	0	19	0	0
	बस्ती प्रभार	**2**	**10**	**31**	**0**	**2**
	वाराणसी जोन	**14**	**95**	**125**	**26**	**16**
21	हरदोई	0	2	4	0	0
22	खीरी	0	6	7	0	0
23	रायबरेली	17	20	6	26	0
24	उन्नाव	0	10	4	0	0
	लखनऊ प्रभार	**17**	**38**	**21**	**26**	**0**
25	फैजाबाद	0	0	2	3	0

जायेगी जिसके आधार पर लाइसेंस फीस का पुनः आगणन करके अन्तर की धनराशि अनुज्ञापी से 15 मार्च तक जमा करायी जायेगी।"

(3) देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप हेतु वर्ष 2012-13 के लिये लाइसेंस फीस की गणना निम्नवत् की जायः-

"अंतिम व्ययगत माह तक के विदेशी मदिरा व बीयर के उपभोग के आधार पर विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर बिक्री की दुकान के अनुमानित वार्षिक उपभोग की गणना की जायेगी और उक्त अनुमानित वार्षिक उपभोग के आधार पर वार्षिक लाइसेंस फीस की गणना की जायेगी। प्रतिबंध यह होगा कि किसी भी दुकान के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस गतवर्ष की लाइसेंस फीस से कम नहीं होगी। माह मार्च में माह फरवरी तक के उपभोग के आधार पर उक्त दुकान के अनुमानित वार्षिक उपभोग का आगणन करके दुकान की वार्षिक लाइसेंस फीस की पुनः गणना की जायेगी। इस प्रकार लाइसेंस फीस के अन्तर की धनराशि द्वितीय किस्त के साथ 15 मार्च तक जमा करायी जायेगी। विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर बिक्री की दुकान की लाइसेंस फीस में इस अन्तर के कारण उस निकाय की माडल शाप की लाइसेंस फीस में यदि कोई वृद्धि होती है तो लाइसेंस फीस की उक्त वृद्धि की धनराशि भी माडल शाप के अनुज्ञापी से द्वितीय किस्त के साथ 15 मार्च तक जमा करायी जायेगी।"

तदनुसार अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(याद अली)
उप सचिव।

संलग्नक-3

प्रेषक,

संख्या–2595 ई–2/तेरह–2011–10/2011

याद अली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग–2

लखनऊःदिनांक 16 नवम्बर, 2011

विषयः– वर्ष 2012–13 की आबकारी नीति के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित अपने पत्र संख्या–जी–166/दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2012–13, दिनांक 08 नवम्बर,2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें देशी शराब व विदेशी मदिरा की फुटकर बिकी की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु वर्ष 2012–13 के लिये प्रोसेसिंग फीस निर्धारित किये जाने एवं एफ0एल0–2 अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस निर्धारित किये जाने तथा देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिकी की दुकानों एवं माडल शाप की बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस जमा कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2– उक्त संदर्भित पत्र में आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त वर्ष 2012–13 के लिये आबकारी नीति के कियान्वयन के सम्बन्ध में राजस्वहित एवं जनहित में लिये गये निम्नलिखित निर्णयों को सूचित करने का मुझे निदेश हुआ हैः–

(1) देशी शराब व विदेशी मदिरा की फुटकर बिकी की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु वर्ष 2012–13 के लिये प्रोसेसिंग फीस रू0 6,000/– प्रति आवेदन पत्र निर्धारित की जाय।

(2) चूँकि वर्ष 2012–13 हेतु एफ0एल0–2 अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन माह दिसम्बर, 2011 में किया जाना है। व्यवस्थापन के समय तक माह नवम्बर, 2011 तक का ही विदेशी मदिरा का उपभोग प्राप्त हो पायेगा जिसके आधार पर वर्ष 2011–12 के अनुमानित वार्षिक उपभोग का आगणन करने पर हो सकता है कि अनुमानित वार्षिक उपभोग और वास्तविक वार्षिक उपभोग में बहुत अधिक अन्तर (कमी) हो जिसके कारण एफ0एल0–2 अनुज्ञापनों की वर्ष 2012–13 की लाइसेंस फीस का आगणन कम हो सकता है। अतः व्यापक राजस्व हित में– एफ0एल0–2 अनुज्ञापनों की वर्ष 2012–13 के लिये लाइसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित की जायः–

"जनपद के अन्तिम व्ययगत माह तक के विदेशी मदिरा के वास्तविक उपभोग के आधार पर उक्त जनपद के विदेशी मदिरा के अनुमानित वार्षिक उपभोग का आगणन करके तदनुसार एफ0एल0–2 की जनपदवार लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी। प्रतिबंध यह होगा कि किसी भी जनपद के लिए निर्धारित एफ0एल0–2 अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस गतवर्ष की लाइसेंस फीस से कम नहीं होगी। माह मार्च में माह फरवरी तक के उपभोग के आधार पर अनुमानित वार्षिक उपभोग की पुनः गणना की

संलग्नक-2

संख्या– 1609 ई–2/तेरह–2011–10/2011

प्रेषक,

याद अली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग–2

लखनऊ::दिनांक:: 29 जुलाई, 2011

विषय:– वर्ष 2011–12 एवं 12–13 की घोषित आबकारी नीति में कतिपय परिवर्तन अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित अपने पत्र संख्या–77/दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2011–12, दिनांक 17 जुलाई,2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसमें देशी शराब की 42.8 प्रतिशत वी/वी तीव्रता की श्रेणी को बहाल करने तथा इस श्रेणी की 180 एम0एल0 धारिता को पुनः प्रचलित किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त संदर्भित पत्र में आप द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं किये गये अनुरोध पर सम्यक विचारोपरान्त राजस्वहित में देशी शराब की 42.8 प्रतिशत वी/वी तीव्रता (तीव्र मसाला) की श्रेणी को पुनः बहाल किये जाने तथा देशी शराब की वर्ष 2011–12 व 12–13 हेतु 5 धारिताओं (750, 375, 200, 180 व 100 एम0एल0) को संलग्न सूची के अनुसार अधिकतम थोक व अधिकतम् फुटकर विक्रय मूल्य पर प्रचलित किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है।

कृपया तद्नुरूप नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(याद अली)
उप सचिव।

पारित वर्ष 2011-12 के आय-व्ययक में आबकारी विभाग द्वारा की जाने वाली राजस्व-प्राप्ति का अनुमान रूपये 8124 करोड़ दर्शाया गया है। उक्त लक्ष्य के आधार पर जनपदों के लिये आबकारी राजस्व का लक्ष्य निर्धारित करते हुये, कार्ययोजना बनाकर लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सर्व-सम्बन्धित अधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

मुझे आपसे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में विशेष जोन के रूप में की गई व्यवस्था में यह सुनिश्चित करने का कष्ट करें कि आबकारी देयों की वसूली के बारे में विधिक वयवस्था चयनित संस्था पर अवश्य रखी जाय।

उपर्युक्तानुसार कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु जिन अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं में संशोधन/परिवर्तन/अपमार्जन की कार्यवाही अथवा नये नियम/नियमावलियों तथा अधिसूचनाओं का प्रख्यापन/विखण्डन (समाप्त) किया जाना हो, उसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करके 31 मार्च,2011 से पूर्व प्रख्यापन कराया जाना प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय। यदि किन्हीं अधिनियमों/नियमों/अधिसूचनाओं का संशोधन/परिवर्तन/अपमार्जन शासन स्तर से किया जाना हो, तो तत्सम्बन्धी प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर (हिन्दी व अंग्रेजी में) शासन को अविलम्ब उपलब्ध करा दिया जाय, ताकि आगामी कार्यवाही समय से की जा सके। प्रश्नगत संशोधनों का प्रख्यापन समय से सुनिश्चित कराने हेतु आबकारी आयुक्त स्तर पर शीघ्रातिशीघ्र गहन समीक्षा भी कर ली जाय, ताकि भविष्य में कोई विधिक कठिनाई उत्पन्न न होने पाये।

भवदीय,

संलग्नक-यथोक्त

(नवल किशोर)
विशेष सचिव।

(क) वर्ष 2011–12 हेतु अवशेष स्टाक का निस्तारणः–

वर्ष 2010–11 की समाप्ति पर जनपदों के विभिन्न अनुज्ञापनों पर दिनांक 31–03–2011 को बिकी अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञापी द्वारा अवशेष स्टाक की ब्राण्ड वार घोषणा जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष दिनांक 01–04–11 को दोपहर 12.00 बजे तक की जायेगी। इस अवशेष स्टाक का निस्तारण आबकारी आयुक्त, उ०प्र० के निर्देशानुसार किया जायेगाः–

(ख) वर्ष 2012–13 हेतु अवशेष स्टाक का निस्तारणः–

वर्ष 2011–12 की समाप्ति पर जनपदों के विभिन्न अनुज्ञापनों पर दिनांक 31–03–2012 को बिकी अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञापी द्वारा अवशेष स्टाक की ब्राण्ड वार घोषणा जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष दिनांक 01–04–12 को दोपहर 12.00 बजे तक की जायेगी। इस अवशेष स्टाक का निस्तारण आबकारी आयुक्त, उ०प्र० के निर्देशानुसार किया जायेगा।

(xviii) वर्ष 2012–13 हेतु व्यवस्थापन–

वर्ष 2012–13 के लिए उपरोक्त वर्णित अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन प्रस्तावित की गयी प्रकिया के अनुसार माह दिसम्बर, 2011 से आबकारी आयुक्त, उ०प्र० द्वारा निर्धारित कार्यकम के अनुसार किया जायेगा।

4(9)–अनुमानित राजस्व प्राप्तियां :–

(क) वर्ष 2011–12 के लिये अनुमानित राजस्व

क्रमांक	मद	अनुमानित राजस्व करोड़ रू0 में
1	देशी शराब–प्रतिफल फीस,लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियॉ	4290.00
2	विदेशी मदिरा– प्रतिफल फीस,लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियॉ	2700.00
3	बीयर – प्रतिफल फीस,लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियॉ	490.00
4	अन्य मद–	170.00
	योग =	7650.00

(ख) वर्ष 2012–13 के लिये अनुमानित राजस्व

क्रमांक	मद	अनुमानित राजस्व करोड़ रू0 में
1	देशी शराब–प्रतिफल फीस,लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियॉ	4720.00
2	विदेशी मदिरा– प्रतिफल फीस,लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियॉ	3410.00
3	बीयर – प्रतिफल फीस,लाइसेंस फीस व अन्य प्राप्तियॉ	680.00
4	अन्य मद–	200.00
	योग =	9010.00

शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वर्ष 2011–12 के लिये अनुमानित राजस्व रू0 7650 करोड़ एवं वर्ष 2012–13 के लिये अनुमानित राजस्व रू0 9010 करोड़ के सम्बन्ध में यह उल्लेख करना है कि विधानमण्डल द्वारा

की फुटकर बिक्री की दुकानों व माडल शाप्स के व्यवस्थापन की नियमावलियों में *लाइसेंसधारक* (Holder of Licence) की परिभाषा रखा जाना व्यापक राजस्व हित में है। वर्तमान परिवेश की आवश्यकताओं के दृष्टिगत लाइसेंसधारक (Holder of Licence) की परिभाषा उक्त नियमावलियों में निम्नानुसार रखी जायः–

लाइसेंसधारकः–

लाइसेंसधारक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति, रजिस्टर्ड भागीदारी फर्म, कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड कम्पनी अथवा उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन शीर्ष सहकारी संस्था/निगम जिसका टेण्डर, बोली अथवा प्रस्ताव लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कर लिया गया हो, यद्यपि औपचारिकताएं पूर्ण कर अनुज्ञापन निर्गत न भी हुआ हो।

इसी कम में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन व कम तीव्रता के मादक पेय की फुटकर बिक्री की दुकानों के व्यवस्थापन की नियमावलियों में उल्लिखित "बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि जमा करने पर लाइसेंस स्वीकृत किये जायेंगे" के स्थान पर "बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि जमा करने पर लाइसेंस निर्गत किये जायेंगे।"

(xiv) विदेशी मदिरा की बोतलों के लेबुलों पर "For sale in Uttar Pradesh only" मुद्रित कराया जाना :–

उत्तर प्रदेश बोतल भराई नियमावली 1969 (यथासंशोधित) में निम्नानुसार संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

1– विभिन्न धारिताओं की बोतलों के लेबुलों पर, लेबुल के कन्ट्रास्ट कलर में "For sale in Uttar Pradesh only" विकर्णवत (Diagonally) निम्नानुसार मुद्रित कराया जायेगा जो स्पष्ट रुप से दृष्टव्य होगा।

(क)		750 एम.एल. व उससे ऊपर की बोतलों में		8 एम.एम. आकार के अक्षरों में
(ख)		375 एम.एल. एवं उससे अधिक किन्तु 750एम. एल. से कम की बोतलों में		4 एम.एम. आकार के अक्षरों में
(ग)		180 एम.एल. एवं उससे अधिक किन्तु 375एम. एल. से कम की बोतलों में		2 एम.एम. आकार के अक्षरों में
(घ)		180 एम.एल. से कम की बोतलों में		1 एम.एम. आकार के अक्षरों में

(xv) कतिपय नियमावलियों /विज्ञाप्तियों में संशोधन :–

यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 की नीति के अनुसार वांछित नई नियमावलियों का सृजन एवं प्रचलित नियमावलियों/ विज्ञाप्तियों में भी यथावांछित संशोधन कर लिया जाय।

(xvi) पैन नं0 का प्रस्तुतीकरणः–

वर्ष 2010–11 की भांति वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 हेतु मदिरा की दुकानों के आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ दिये जाने वाले शपथ पत्र में यह अभिकथन करना अनिवार्य होगा कि चयनित हो जाने पर उसके द्वारा 03 माह के अंदर आयकर विभाग द्वारा निर्गत पैन कार्ड नं0 प्रस्तुत कर दिया जायेगा।

(xvii) विभिन्न अनुज्ञापनों पर अवशेष स्टाक का निस्तारणः–

Q

क्रम सं0	आसवनी की वार्षिक सकल अधिष्ठापित क्षमता (लाख ब0ली0 में)	देय प्रतिभूति धनराशि (रु0 में)
1	500 तक	20 लाख
2	500 से अधिक --1000 तक	40 लाख
3	1000 से अधिक	60 लाख

प्रतिभूति धनराशि का 75 प्रतिशत भाग "सावधि जमा रसीद" के रुप में, जो आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के पदनाम से प्रतिश्रुत होगा, तथा शेष 25 प्रतिशत भाग राजकीय राजकोष में संबंधित लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

(xi) **देशी मदिरा की थोक आपूर्ति :-**

देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापियों की मांग के अनुसार समय से देशी शराब की आपूर्ति हेतु पी0डी0-1/2 से संबंधित नियमावलियां में निम्नानुसार संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

पेय मदिरा निर्माता पी0डी0-1/2 अनुज्ञाधारक आसवनियां देशी मदिरा के थोक अनुज्ञापियों की मांग के अनुसार युक्ति-युक्त समयान्तर्गत, जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किया जायेगा, देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु बाध्य होंगी।

(xii) **मादक पदार्थो के निर्माण, संचय और विकय के अनुज्ञापित परिसरों में प्रवेश और निरीक्षण का अधिकार :-**

यू0पी0एक्साइज एक्ट 1910 की धारा-48 के अन्तर्गत शासन की विज्ञप्ति सं0 1099 ई-2/तेरह-239-88 दिनांक अप्रैल 01, 1993 द्वारा आबकारी और पुलिस विभाग के निम्न अधिकारियों को मादक पदार्थो के निर्माण, संचय और विकय के अनुज्ञापित परिसरों में प्रवेश और निरीक्षण के अधिकार दिये गये है:-

1- आबकारी विभाग के अधिकारी:-
(i) सहायक आबकारी आयुक्त
(ii) आबकारी निरीक्षक

2- पुलिस विभाग के अधिकारी
उपाधीक्षक पुलिस से अनिम्न पद का अधिकारी ।

आबकारी विभाग में संयुक्त आबकारी आयुक्त और उप आबकारी आयुक्त के पद भी हैं। इन पदधारक अधिकारियों को भी उनके नियुक्ति क्षेत्र के अनुज्ञापनों के निरीक्षण का दायित्व भी विभिन्न परिपत्रों द्वारा दिया गया है, किन्तु निरीक्षण का अधिकार न होने के कारण इन अधिकारियों द्वारा किये गये निरीक्षण अनावश्यक विधिक विवादों में फंस जाते है, और निरीक्षण का परिणामी लाभ विभाग के राजस्व को नहीं मिल पाता है। इस दृष्टि से आबकारी विभाग के आबकारी निरीक्षक से अनिम्न श्रेणी के सभी अधिकारियों को यह अधिकार प्रशासनिक और राजस्व हित में दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

(xiii) **लाइसेंसधारक को परिभाषित किया जाना :-**

यू0पी0एक्साइज एक्ट 1910 की धारा-36 के स्पष्टीकरण (Explanation) में लाइसेंसधारक परिभाषित है। उक्त परिप्रेक्ष्य में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, वाइन, कम तीव्रता के मादक पेय

प्रथम बार निर्गत किये जाने पर अर्थात नये लाइसेंस के लिए पूर्व की भांति लाइसेंस फीस रु0 2 लाख प्रति लाइसेंस होगी। इन एफ0एल0–3 व एफ0एल0–3ए अनुज्ञापनों के नवीनीकरण हेतु नवीनीकरण फीस वर्ष 2011–12 से निम्नानुसार निर्धारित की गई है:–

क्रम सं0	वित्तीय वर्ष के माह जनवरी तक प्राप्त वास्तविक बाटलिंग फीस के आधार पर सम्पूर्ण वर्ष की अनुमानित वार्षिक वाटलिंग फीस (जनवरी तक प्राप्त बाटलिंग फीस को 10 से भाग देकर भागफल को 12 से गुणा करने पर)	एफ0एल0–3 एवं एफ0एल0–3ए अनुज्ञापनों के लिए आगामी वित्तीय वर्ष हेतु प्रस्तावित नवीनीकरण फीस
1	रु0 10000000 तक	रु0 2 लाख
2	रु0 10000001 से रु0 20000000 तक	रु0 4 लाख
3	रु0 20000001 से रु0 30000000 तक	रु0 6 लाख
4	रु0 30000001 से रु0 40000000 तक	रु0 8 लाख
5	रु0 40000001 से अधिक	रु0 10 लाख

नवीनीकरण की यह धनराशि वाटलिंग फीस में समायोजनीय नहीं होगी। यदि वर्षान्त पर वास्तव में प्राप्त बाटलिंग फीस से नवीनीकरण फीस की श्रेणी बढ़ती है, तो बढ़ी हुई श्रेणी के अनुरुप नवीनीकरण फीस संबंधित वर्ष के लिए देय होगी, तथा अन्तर की धनराशि संबंधित वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह की अंतिम तारीख से पूर्व राजकोष में जमा करनी होगी। उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्व निर्धारित बोतल भराई फीस अलग से अंग्रिम रुप से सुसंगत नियम की व्यवस्था के अनुसार वसूल की जायेगी।

(viii) <u>प्रदेश की आसवनियों को प्रदेश की ही अन्य आसवनियों में बोतल भराई की सुविधा प्रदान किया जाना:–</u>

वर्ष 2009–10 से अन्य राज्यों की आसवंनियों की भांति प्रदेश की आसवनियों को भी प्रदेश की अन्य आसवनियों में बोतल भराई की सुविधा प्रदान की गयी है। इस सुविधा को यथावत बनाये रखा जाय।

(ix) <u>एफ0एल0–3,एफ0एल0–3ए अनुज्ञापनों के लिये अतिकाल फीस की दरों में संशोधन:–</u>

प्रदेश की आसवनियों के अनुज्ञापनों में अतिकाल फीस की दरें पुनरीक्षित हो चुकी है, किन्तु उत्तर प्रदेश बोतल भराई नियमावली–1969 के नियम–7(14) में अतिकाल फीस की दरें पूर्ववत ही है, जिससे एक ही स्थल पर कार्यरत स्टाफ के निर्धारित अवधि के बाहर कार्य करने पर भिन्न–भिन्न दरें प्रभावी होने के कारण विसंगति पूर्ण स्थिति है। इसके निदान के लिये आसवनी के अनुज्ञापनों की पुनरीक्षित अतिकाल फीस की दरों की भांति उत्तर प्रदेश बोतल भराई नियमावली–1969 (यथासंशोधित) के अन्तर्गत निर्गत एफ0एल0–3 व एफ0एल0–3ए अनुज्ञापनों के लिये नियम–7(14) में निर्धारित अतिकाल फीस की दरों को पुनरीक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(x) <u>पी0डी0–2 अनुज्ञापनों की प्रतिभूति धनराशि :–</u>

वर्ष 2011–12 से वर्तमान पी0डी0 1/2 अनुज्ञापनों एवं भविष्य में प्रदान किये जाने वाले पी0डी0 1/2 अनुज्ञापनों की प्रतिभूति धनराशि निम्नानुसार निर्धारित की गई हैं:–

निर्माण के लिए प्राप्त करेगी, तो ऐसी ई0एन0ए0 (Extra Neutral Alcohol) आपूर्तक इकाई को आपूर्ति की गयी मात्रा के समतुल्य आरक्षित शीरे की मात्रा की आपूर्ति ई0एन0ए0 (Extra Neutral Alcohol) प्राप्त करने वाली आसवनी को देय आरक्षित शीरे की मात्रा से समायोजित करके उपलब्ध करायी जायेगी।

(vi) अन्य राज्यों की मदिरा की प्रदेश में व्यक्तिगत उपभोग हेतु आयात की सीमा –

विकृत स्प्रिट से भिन्न विदेशी मदिरा का आयात, निर्यात तथा परिवहन नियमावली, 1929 की अनुसूची के अन्तर्गत अधिसूचना सं0 192/तेरह–60/ दिनांक अप्रैल 05, 1929 द्वारा किसी 'बोनाफाइड यात्री' द्वारा व्यक्तिगत उपभोग हेतु उत्तर प्रदेश में विदेशी मदिरा के आयात हेतु दो बोतल की सीमा निम्नानुसार निर्धारित है:–

(2) A bonafide traveller coming into Uttrar Pradesh may import for his own personal use, Indian-made foreign liquor not exceeding two quart bottles in all. Indian-made foreign liquor may be imported in larger quantities only in accordance with the rules hereinafter following. There is no quantitative limit for transport of Indian-made foreign liquor.

उत्तर प्रदेश आबकारी (मदिरा अभिवहन) नियमावली–2003 की अनुसूची में राज्य से गुजरने वाले बोनाफाइड यात्रियों के लिए विदेशी मदिरा अभिवहन की निम्न सीमा निर्धारित थी।:–

मदिरा	मात्रा
देशी शराब (मसाला)	1.5 लीटर प्रत्येक तीव्रता की
देशी शराब (सादा)	1.5 लीटर निर्धारित तीव्रता की
विदेशी मदिरा	03 लीटर निर्धारित तीव्रता की
बीयर .	06 लीटर निर्धारित तीव्रता की
वाइन	03 लीटर

राजस्व हित एवं मदिरा की तस्करी रोकने की दृष्टि से प्रदेश में रहने वाले बोनाफाइड यात्रियों के लिए विदेशी मदिरा के व्यक्तिगत उपभोग हेतु आयात की सीमा दो क्वार्ट बोतल के स्थान पर एक क्वार्ट बोतल/एक अद्धा/एक पौवा में से कोई एक इकाई खुली हुई हो, निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। उक्त प्रतिबंध प्रदेश में प्रवेश करने वाले निम्न श्रेणी के व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा:–

1– अर्न्तदेशीय यात्रियों द्वारा केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क के नियमार्न्तगत अनुमन्य सीमा में लायी गयी अन्य देशों से आयातित (Overseas) मदिरा ।

2– भारतीय सेना एवं भारतीय सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को उनके सुसंगत नियमों के अनुसार अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत लायी गयी मदिरा।

(vii) एफ0एल0–3/एफ0एल0–3ए अनुज्ञापनों का नवीनीकरण शुल्क :–

प्रदेश की आसवनियों में स्वंय के लिये एवं अन्य आसवनियों के पक्ष में विदेशी मदिरा, कम तीव्रता के मादक पेय, वाइन एवं बीयर की बोतल भराई हेतु कमशः एफ0एल0–3 व एफ0एल0–3ए अनुज्ञापन निर्गत किये जाते है। नये अनुज्ञापन की स्वीकृति की स्थिति में रु0 2 लाख जमा किये जाने और पुराने अनुज्ञापनों के लिए न्यूनतम रु0 2 लाख के अधीन रहते हुए लाइसेंस शुल्क निर्धारित दरों पर वसूल किये जाने की व्यवस्था है। पुराने अनुज्ञापनों के संबंध में 2 लाख रु0 की वसूली उत्तरवर्ती व्यवस्था के आधार पर की गई थी। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका सं0 99/2007 मेसर्स केसर इण्टर प्राइजेज बरेली बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 30–07–2008 द्वारा नियमावली में नवीनीकरण फीस की व्यवस्था न होने के कारण, वसूल किये गये नवीनीकरण शुल्क को वैध नहीं माना गया है। इस दृष्टि से नये एफ0एल0–3 व एफ0एल0–3ए अनुज्ञापनों के

सीमावर्ती राज्यों से देशी शराब तथा विदेशी मदिरा की तस्करी एवं अवैध मदिरा की बिक्री पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रदेश में उत्पादित एवं अन्य राज्यों से आयातित देशी एवं विदेशी मदिरा की पेटियों (कार्टन) की सभी छः सतहों (फेस) पर गाढ़े लाल रंग की डेढ़ इंच चौड़ी पटटी में कम से कम एक इंच चौड़े काले रंग के स्पष्ट अक्षरों में **"फार सेल इन यूपी"** मुद्रित (प्रिन्ट) कराया जाना आवश्यक है।

(ii) <u>धरोहर धनराशिः–</u>

देशी शराब की फुटकर बिकी की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु धरोहर धनराशि उक्त देशी शराब दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस की 10 प्रतिशत होगी। इसी प्रकार विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिकी की दुकानों एवं माडलशाप्स के व्यवस्थापन हेतु धरोहर धनराशि उक्त दुकान की लाइसेंस फीस की 10 प्रतिशत होगी। सफल/चयनित आवेदक की धरोहर धनराशि उसके नाम से आवंटित दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस/प्रतिभूति धनराशि में समायोजनीय होगी। असफल आवेदकों की धरोहर धनराशि नियमानुसार वापसी योग्य होगी।

(iii) <u>पेट बोतलों व ढक्कनों का विनष्टीकरणः–</u>

विगत माहों में कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा देशी मदिरा की दुकानों एवं माडल शाप्स पर मदिरा के उपभोग के पश्चात् खाली पेट बोतलों को एकत्रित/प्राप्त कर उनमें नकली/जहरीली/अवैध मदिरा भरकर तथा नकली ढक्कन लगाकर अवैध रुप से विकय करने की शिकायतें प्राप्त हुई है। इससे जनस्वास्थ्य कुप्रभावित होने एवं राजस्व क्षति की संभावना रहती है। अतः देशी मदिरा की दुकानों तथा माडल शाप पर उपभोग के पश्चात् रिक्त हुई पेट बोतलों, अद्धों, पौवों एवं उन पर प्रयुक्त ढक्कनों को काटकर/कशकर नष्ट करने का दायित्व इन दुकानों के विकेताओं/अनुज्ञापियों का होगा।

(iv) <u>उ0प्र0 आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली 1968 में संशोधन :–</u>

उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली–1968 के नियम–5(2) में स्थल शब्द का उल्लेख होने, किन्तु नियमावली में स्थल की परिभाषा न होने के कारण रिट याचिका सं0 1043/2010 राकेश सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की एक खण्डपीठ के न्यायाधीश द्वय द्वारा निर्णय दिनांक 12–11–2010 में अलग–अलग मत व्यक्त किये गये है, जिसमें मा0 न्यायाधीश श्री राजेश कुमार द्वारा स्थल के संबंध में निम्नानुसार अवधारणा की गयी हैः–

> "Sub-rule (2) of Rule 5 of Location Rules is applicable where there is change of site in the same area and not the transfer of shop from one area to another area."

यद्यपि प्रकरण वर्तमान में तीसरे जज मा0 मुख्य न्यायाधीश, इलाहाबाद के समक्ष सुनवाई में है। इस स्थिति में नियमावली की उल्लिखित विसंगति का निराकरण कर लिया जाना उचित प्रतीत हो रहा है। अतः स्थल और स्थिति को परिभाषित करते हुए संदर्भित नियमावली में यथावांछित संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(v) <u>देशी शराब का ई0एन0ए0 से निर्माणः–</u>

जनस्वास्थ्य व गुणवत्ता पूर्ण देशी मदिरा उपलब्ध कराने की दृष्टि से गत वर्ष की भांति वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में भी देशी शराब का निर्माण केवल ई0एन0ए0 से ही किये जाने का निर्णय लिया गया है। यदि देशी मदिरा निर्माता आसवनी अन्य पेय मदिरा/मिश्रित/औद्योगिक आसवनी से ई0एन0ए0, देशी मदिरा

3 <u>माडल शाप्स की प्रोसेसिंग फीस व नवीनीकरण शुल्कः-</u>

वर्ष 2010-11 में प्रोसेसिंग फीस रू0 5000/- प्रति आवेदन पत्र निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2011-12 व वर्ष 2012-13 हेतु रू0 7000/- प्रति आवेदन पत्र किये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2011-12 से उक्त प्रोसेसिंग फीस पर तत्समय निर्धारित दर पर वैट तथा नियमानुसार देय अन्य करों की वसूली भी अतिरिक्त रुप से की जायेगी।

वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 हेतु माडल शाप्स का नवीनीकरण शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:-

कमांक	निकाय	वर्ष 2010-11 हेतु निर्धारित दर (रुपये में)	वर्ष 2011-12 हेतु प्रस्तावित दर (रुपये में)	वर्ष 2012-13 हेतु प्रस्तावित दर (रुपये में)
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	30,000 प्रति दुकान	35,000 प्रति दुकान	40,000 प्रति दुकान
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	22,000 प्रति दुकान	25,000 प्रति दुकान	30,000 प्रति दुकान
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	15,000 प्रति दुकान	17,500 प्रति दुकान	20,000 प्रति दुकान
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	6,000 प्रति दुकान	8,000 प्रति दुकान	10,000 प्रति दुकान

4 <u>माडल शाप्स का सृजन-</u>

वर्ष 2010-11 की भांति वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में भी 15 प्रतिशत माडल शाप के सृजन करने का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को प्रदत्त किया गया है एवं 15 प्रतिशत से अधिक आवश्यकता होने पर दुकानों का सृजन शासन की अनुमति से किया जायेगा।

4(7)- <u>भांग :-</u>

1. <u>भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापनः-</u>

भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन वर्ष 2010-11 की भॉति उत्तर प्रदेश आबकारी लाइसेंस (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली, 1991 के प्राविधानानुसार वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में भी किया जायेगा। भांग के लिये निर्धारित एम.जी.क्यू. पर रू0 20/- प्रति किलोग्राम की दर से बेसिक लाइसेंस फीस देय होगी। एम.जी.क्यू. से अतिरिक्त भांग की निकासी उठाये जाने पर रू0 20/- प्रति किलोग्राम की दर से प्रतिफल फीस देय होगी ।

2. <u>भांग के निर्यात पर निर्यात फीसः-</u>

वर्ष 2010-11 की भांति वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में भी भांग के निर्यात पर रू0 4/- प्रति किलोग्राम की दर से निर्यात फीस निर्धारित की गई है।

4(8)- <u>अन्य</u>

(i) <u>मदिरा की पेटियों पर "फार सेल इन यूपी" का मुद्रण :-</u>

का आफर स्वीकार न होगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

6– **विशिष्ट मेरठ जोन में माडल शाप्स का व्यवस्थापनः–**

6.1 विशिष्ट मेरठ जोन की माडल शाप्स का व्यवस्थापन प्रस्तर 4(1) के अनुसार प्रस्तर 4(6)1 में वर्णित प्रकिया के अनुरुप कराया जायेगा।

6.2 चयनित अनुज्ञापी द्वारा विशिष्ट मेरठ जोन की वर्ष 2010–11 में संचालित समस्त माडल शाप्स एवं नवसृजित माडल शाप्स का व्यवस्थापन वर्ष 2011–12 के लिये निर्धारित लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि के आधार पर कराना होगा। किसी भी दुकान का व्यवस्थापन न कराने की दशा में मेरठ जोन की देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर की फुटकर बिकी की दुकानों एवं माडल शाप्स के अनुज्ञापी के रुप में किया गया उसका चयन निरस्तीकरण योग्य होगा, जिसके तारतम्य में उसको प्रदत्त देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर की फुटकर बिकी की दुकानों एवं माडल शाप्स के समस्त अनुज्ञापन निरस्तीकरण योग्य होंगे। इस प्रकार निरस्त/रिक्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमानुसार किया जायेगा।

(ख) **वर्ष 2012–13 हेतु माडल शाप्स का व्यवस्थापनः–**

वर्ष 2011–12 में संचालित माडल शाप्स का नवीनीकरण वर्ष 2012–13 में निम्न प्रतिबंधों के साथ किया जायेगाः–

1– अंतिम व्ययगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2– वर्ष 2011–12 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3– वर्ष 2012–13 के लिए निर्धारित देयताओं की अदायगी के लिये अनुज्ञापी तत्पर हों।

4– उपरोक्तानुसार नवीनीकृत न हो सकी माडल शाप्स को वर्ष 2012–13 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मांग कर व्यवस्थित कराया जायेगा। यदि किसी माडल शाप पर एक ही आवेदन प्राप्त होता है, और नियमानुसार उचित पाया जाता है तो माडल शाप का आवंटन आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में माडल शाप्स का आवंटन नियमानुसार सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जायेगा। इसी के साथ नवसृजित माडल शाप्स का व्यवस्थापन भी निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मांगकर सार्वजनिक लाटरी से कराया जायेगा।

5– वर्ष 2011–12 में संचालित हो रही माडल शाप्स के उपरोक्तनुसार भी व्यवस्थित न होने पर इनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2011–12 की लाइसेंस फीस पर आफर मांग कर कराया जाना प्रस्तावित है। प्रतिबंध यह रहेगा कि वर्ष 2011–12 की लाइसेंस फीस से कम का आफर स्वीकार न होगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

6– विशिष्ट मेरठ जोन के वर्ष 2011–12 के अनुज्ञापी को जोन की समस्त माडल शाप्स के अनुज्ञापन वर्ष 2012–13 हेतु निर्धारित नवीनीकरण फीस, लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि के आधार पर नवीनीकृत कराना एवं नवसृजित माडल शाप्स के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि के आधार पर अनुज्ञापन प्राप्त करना होगा। किसी भी माडल शाप्स का व्यवस्थापन न कराने की दशा में विशिष्ट मेरठ जोन की देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर की फुटकर बिकी की दुकानों एवं माडल शाप्स के अनुज्ञापी के रुप में किया गया उसका चयन निरस्तीकरण योग्य होगा, जिसके तारतम्य में उसको प्रदत्त देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर की फुटकर बिकी की दुकानों एवं माडल शाप्स के समस्त अनुज्ञापन निरस्तीकरण योग्य होंगे। इस प्रकार निरस्त/रिक्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमानुसार किया जायेगा।

2. अन्य नगरों के लिये (ग्रेटर नोएडा एवं झांसी सहित)	8 लाख रूपये वर्ष या वर्ष के भाग के लिये या ऐसे नगर की विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों की सर्वोच्च लाइसेंस फीस को मिलाकर प्राप्त धनराशि के समतुल्य लाइसेंस फीस, जो अधिक हो, परन्तु यह फीस 22 लाख रूपये से अधिक नहीं होगी ।	1.00 लाख

उपरोक्त के अतिरिक्त माडल शाप में मदिरा पान की सुविधा अनुमन्य करने हेतु रु0 50,000 की फीस निर्धारित हैं।

वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 हेतु माडल शाप्स की लाइसेंस फीस निम्नानुसार निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

निकाय	लाइसेंस फीस (रू0 में)	प्रतिभूति धनराशि (रू0 में)
1. नगर निगमों एवं नोएडा के लिये (ग्रेटर नोएडा एवं झांसी को छोड़कर)	25 लाख रूपये वर्ष या वर्ष के भाग के लिये	2.00 लाख
2. अन्य नगरों के लिये (ग्रेटर नोएडा एवं झांसी सहित)	9 लाख रूपये या ऐसे नगर की विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों की सर्वोच्च लाइसेंस फीस को मिलाकर प्राप्त धनराशि के समतुल्य लाइसेंस फीस, जो अधिक हो, वर्ष या वर्ष के भाग के लिये, परन्तु यह फीस 25 लाख रूपये से अधिक नहीं होगी ।	1.00 लाख

उपरोक्त के अतिरिक्त माडल शाप्स पर मदिरा पान की सुविधा अनुमन्य करने की फीस रु0 50,000 से बढ़ाकर रु0 1,00,000 वर्ष या वर्ष के भाग के लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. **आगरा, वाराणसी, लखनऊ तथा गोरखपुर जोन में माडल शाप्स का व्यवस्थापन:–**

(क) **वर्ष 2011–12 हेतु माडल शाप्स का व्यवस्थापन:–**

वर्ष 2010–11 में संचालित माडल शाप्स का नवीनीकरण वर्ष 2011–12 में निम्न प्रतिबंधों के साथ किया जायेगा:–

1– अंतिम व्ययगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2– वर्ष 2010–11 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3– वर्ष 2011–12 के लिए निर्धारित देयताओं की अदायगी के लिये अनुज्ञापी तत्पर हों।

4– उपरोक्तानुसार नवीनीकृत न हो सकी माडल शाप्स को वर्ष 2011–12 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मांग कर व्यवस्थित कराया जायेगा। यदि किसी माडल शाप पर एक ही आवेदन प्राप्त होता है, और नियमानुसार उचित पाया जाता है तो माडल शाप्स का आवंटन आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में माडल शाप का आवंटन नियमानुसार सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जायेगा। इसी के साथ नवसृजित माडल शाप्स का व्यवस्थापन भी निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मांग कर सार्वजनिक लाटरी से कराया जाय।

5– वर्ष 2010–11 में संचालित हो रही माडल शाप्स के उपरोक्तनुसार भी व्यवस्थित न होने पर इनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2010–11 की लाइसेंस फीस पर आफर मांग कर कराया जाना प्रस्तावित है। प्रतिबंध यह रहेगा कि वर्ष 2010–11 की लाइसेंस फीस से कम

बीयर की एम0आर0पी0 वर्ष 2010-11 की भांति वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में भी यथावत बनाये रखने का निर्णय लिया गया है।

11 **<u>बीयर व एल0ए0बी0 पर निर्यात शुल्कः-</u>**

वर्ष 2010-11 में बीयर एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर निर्यात शुल्क 1/- प्रति ब0ली0 निर्धारित है। इसे वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

12 **<u>बीयर, पोर्टर, साइडर, ऐल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर आयात शुल्कः-</u>**

वर्ष 2010-11 में फ्लेश पाशचुराइजेशन की प्रकिया से निर्मित ड्राट बीयर पर आयात शुल्क रू0 1/- प्रति बल्क लीटर तथा ड्राट बीयर को छोड़कर अन्य बीयर पोर्टर, साइडर, ऐल एवं कम तीव्रता के मादक पेय पर आयात शुल्क रू0 2 प्रति बल्क लीटर को वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

13. **<u>बीयर के लेबुलों का अनुमोदन :-</u>**

बीयर के लेबुलों की अनुमोदन फीस वर्ष 2010-11 की भॉति वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में रू0 5000/- प्रति लेबुल यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

14. **<u>बीयर की फुटकर दुकानों की दैनिक लाइसेंस फीसः-</u>**

बीयर की फुटकर दुकानों की दैनिक लाइसेन्स फीस दुकान की निर्धारित वार्षिक लाइसेन्स फीस का 1/365 भाग लिया जाना निर्धारित है । वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में भी इसी प्रकार दैनिक व्यवस्थापन सम्पन्न कराये जाने का निर्णय लिया गया है। परन्तु ऐसी दुकानें, जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित नहीं हो सकेंगी, का व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित कराने के बाद वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 के लिये निर्धारित लाइसेन्स फीस के सापेक्ष, जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, उसपर सम्पन्न कराया जायेगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

4(6) – <u>माडल शाप</u>

1 **<u>माडल शाप की लाइसेंस फीसः-</u>**

वर्ष 2010-11 के लिये माडल शाप की लाइसेंस फीस के निर्धारण की निम्न व्यवस्था प्रभावी हैः-

निकाय	लाइसेंस फीस (रू0 में)	प्रतिभूति धनराशि (रू0 में)
1. महानगरों एवं नोएडा के लिये (ग्रेटर नोएडा एवं झांसी को छोड़कर)	22 लाख रूपये वर्ष या वर्ष के भाग के लिये	1.00 लाख

2	5 प्रतिशत से अधिक व 8 प्रतिशत तक तीव्रता की स्ट्रांग बियर	रु0 32.00/- प्रति बोतल(650 एम0एल0) या रु0 49.23 प्रति लीटर

वर्ष 2010-11 में बीयर के व्यवसाय में सुधार आया है। इस वृद्धिकारक प्रवृत्ति को बनाये रखने के लिए प्रतिफल फीस की दरों को वर्ष 2011-12 में भी उपरोक्तानुसार ही बनाये रखे जाने का निणर्य लिया गया है।

वर्ष 2012-13 हेतु बीयर की प्रतिफल फीस निम्नानुसार निर्धारित की जायेगी:-

कमांक	बीयर का प्रकार	प्रतिफल फीस (प्रति बोतल)
1	0 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक तीव्रता की माइल्ड बीयर	रु0 23.50/-प्रति बोतल(650 एम0एल0) या रु0 36.16 प्रति लीटर
2	5 प्रतिशत से अधिक व 8 प्रतिशत तक तीव्रता की स्ट्रांग बीयर	रु0 38.00/- प्रति बोतल (650 एम0एल0) या रु0 58.47 प्रति लीटर

6. **बीयर का थोक लाइसेंस :-**

बीयर के थोक आपूर्ति की व्यवस्था वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 हेतु प्रस्तर-4(3) के 8(क), (ग) व (घ) के अनुसार रखी जाय।

7 **अन्य देशों से आयातित बीयर का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन :-**

आयातित बीयर की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2010-11 की भांति वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में भी रू0 10,000/- प्रति ब्राण्ड रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

8. **अन्य देशों से आयातित बीयर की परमिट फीस:-**

वर्ष 2010-11 में अन्य देशों से आयातित बीयर की परमिट फीस की दरें निम्नवत् निर्धारित की गई है:-

(क)	5 प्रतिशत वी/वी तक	रु0 20/-	(650 एम0एल0 प्रति बोतल)
(ख)	5 प्रतिशत वी/वी से अधिक एवं 8 प्रतिशत वी/वी तक	रु0 35/-	(650 एम0एल0 प्रति बोतल)

आयातित बीयर पर वर्ष 2010-11 की भांति वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में भी परमिट फीस ली जायेगी।

9. **भारत निर्मित बीयर का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन :-**

भारत निर्मित बीयर की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2010-11 हेतु रु0 12000/- प्रति ब्राण्ड निर्धारित है। वर्ष 2011-12 तथा वर्ष 2012-13 हेतु इसे बढ़ाकर रु0 15000/- प्रति ब्राण्ड लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

10 **बीयर की एम0आर0पी0 :-**

बीयर की प्रोसेसिंग फीस वर्ष 2011–12 के लिये रू0 5,000 प्रति आवेदन पत्र निर्धारित की गई है। वर्ष 2012–13 के लिये उक्त प्रासेसिंग फीस में रु0 1000/– की वृद्धि करते हुए रु0 6000/– प्रति आवेदन पत्र ली जायेगी।

वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 के लिये निकायवार निर्धारित नवीनीकरण शुल्क निम्नवत् है:–

कमांक	निकाय	वर्ष 2010–11 हेतु निर्धारित (रुपये में)	वर्ष 2011–12 हेतु प्रस्तावित दर (रुपये में)	वर्ष 2012–13 हेतु प्रस्तावित दर (रुपये में)
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	35,000 प्रति दुकान	40,000 प्रति दुकान	45,000 प्रति दुकान
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	25,000 प्रति दुकान	30,000 प्रति दुकान	35,000 प्रति दुकान
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	17,500 प्रति दुकान	20,000 प्रति दुकान	22,000 प्रति दुकान
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	8,000 प्रति दुकान	10,000 प्रति दुकान	11,000 प्रति दुकान

4. **बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों का सृजन:–**

वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में भी गत वर्ष की भॉति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को 25 प्रतिशत दुकानों के सृजन का अधिकार दिया गया है तथा 25 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होने पर दुकानों का सृजन शासन की अनुमति से किया जायेगा।

बीयर की नवसृजित दुकानों के लिए वर्ष 2010–11 की भांति ही वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 हेतु निम्नानुसार लाइसेंस फीस का निर्धारित की गई है:–

कम सं0	दुकान की प्रास्थिति	वर्ष 2010–11 हेतु निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस फीस	वर्ष 2011–12 हेतु प्रस्तावित न्यूनतम लाइसेंस फीस	वर्ष 2012–13 हेतु प्रस्तावित न्यूनतम लाइसेंस फीस
1	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि0मी0 की परिधि तक	1,60,000/–	1,60,000/–	1,60,000/–
2	नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि0मी0 की परिधि तक	80,000/–	80,000/–	80,000/–
3	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि0मी0 की परिधि तक	40,000/–	40,000/–	40,000/–
4	ग्रामीण	38,000/–	38,000/–	38,000/–

बीयर की समस्त दुकानों (नवसृजित सहित) की प्रास्थिति का निर्धारण नियमानुसार किया जायेगा। इस संबंध में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा समय–समय पर प्रसारित परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5. **बीयर की प्रतिफल फीस:–**

बीयर की प्रतिफल फीस वर्ष 2010–11 में निम्न प्रकार निर्धारित है:–

क्रमांक	बीयर का प्रकार	प्रतिफल फीस (प्रति बोतल)
1	0 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक तीव्रता की माइल्ड बियर	रु0 18.50/– प्रति बोतल(650 एम0एल0) या रु0 28.46 प्रति लीटर

6- **विशिष्ट मेरठ जोन में बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन:-**

6.1 विशिष्ट मेरठ जोन की बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन प्रस्तर 4-(1) के अनुसार प्रस्तर 4(5)1 में वर्णित व्यवस्था के अनुरुप कराया जायेगा।

6.2 चयनित अनुज्ञापी द्वारा विशिष्ट मेरठ जोन की बीयर की वर्ष 2010-11 में संचालित समस्त फुटकर बिक्री की दुकानों एवं नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन वर्ष 2011-12 के लिये निर्धारित लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि के आधार पर कराना होगा। किसी भी दुकान का व्यवस्थापन न कराने की दशा में विशिष्ट मेरठ जोन की देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के अनुज्ञापी के रुप में किया गया उसका चयन निरस्तीकरण योग्य होगा, जिसके तारतम्य में उसको प्रदत्त देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के समस्त अनुज्ञापन निरस्तीकरण योग्य होंगे। इस प्रकार निरस्त/रिक्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमानुसार किया जायेगा।

(ख) **बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों का वर्ष 2012-13 हेतु व्यवस्थापन**

बीयर की फुटकर बिक्री की वर्ष 2011-12 में संचालित दुकानों का नवीनीकरण वर्ष 2012-13 में निम्न प्रतिबंधों के साथ किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

1- अंतिम व्ययगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2- वर्ष 2011-12 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3- वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारित देयताओं की अदायगी के लिये अनुज्ञापी तत्पर हों।

4- उपरोक्तानुसार नवीनीकृत न हो सकी दुकानों को वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन देकर आवेदन मांग कर व्यवस्थित कराया जायेगा। यदि किसी दुकान पर एक ही आवेदन प्राप्त होता है, और नियमानुसार उचित पाया जाता है तो दुकान का आवंटन आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में दुकान का आवंटन नियमानुसार सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जायेगा। इसी के साथ नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन भी निकायवार निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मांगकर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जायेगा।

5- वर्ष 2011-12 में संचालित हो रही दुकानों के उपरोक्तनुसार भी व्यवस्थित न होने पर इनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2011-12 की लाइसेंस फीस पर आफर मांग कर कराया जायेगा। प्रतिबंध यह रहेगा कि वर्ष 2011-12 की लाइसेंस फीस से कम का आफर स्वीकार न होगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

6- विशिष्ट मेरठ जोन के वर्ष 2011-12 के अनुज्ञापी को जोन की बीयर की समस्त फुटकर बिक्री की दुकानें वर्ष 2012-13 हेतु निर्धारित नवीनीकरण फीस, लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि के आधार पर नवीनीकृत कराना एवं नवसृजित दुकानों के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि के आधार पर अनुज्ञापन प्राप्त करना होगा। किसी भी दुकान का व्यवस्थापन न कराने की दशा में विशिष्ट मेरठ जोन की देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के अनुज्ञापी के रुप में किया गया उसका चयन निरस्तीकरण योग्य होगा, जिसके तारतम्य में उसको प्रदत्त देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के समस्त अनुज्ञापन निरस्तीकरण योग्य होंगे। इस प्रकार निरस्त/रिक्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमानुसार किया जायेगा।

3. **बीयर की फुटकर दुकानों हेतु प्रोसेसिंग फीस व नवीनीकरण शुल्क :-**

1 **बीयर की फुटकर बिकी की दुकानों की लाइसेंस फीसः–**

बीयर की फुटकर बिकी की दुकानों की लाइसेंस फीस वर्ष 2011–12 हेतुः–

वर्ष 2010–11 की भांति वर्ष 2011–12 में भी प्रति बोतल लाइसेंस फीस के अधिभार के आधार पर बीयर की फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीस निर्धारित करने की व्यवस्था यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु व्यवस्थापन की प्रकिया प्रारम्भ होने तक आयुक्तालय में उपलब्ध अंतिम मास के उपभोग के आंकड़ों के आधार पर गत वर्ष की भांति निर्धारित किया जाय। अप्रैल 2010 से जनवरी 2011 तक के उपभोग 7.26 करोड़ बोतल के आधार पर वर्ष 2010–11 का वार्षिक अनुमानित उपभोग 8.71 करोड़ बोतल के लिए प्रदेश का प्रति बोतल अधिभार रु0 4.43 अथवा राउण्ड आफ करके रु0 4 निर्धारित हो रहा है। वर्ष 2010–11 में रु0 5 प्रति बोतल अधिभार निर्धारित था। वर्ष 2011–12 हेतु बीयर पर अधिभार रु0 6 प्रति बोतल रखे जाने का निर्णय लिया गया है। किसी भी बीयर दुकान के अंतिम व्ययगत मास तक उपभोग के अधार पर अनुमानित वार्षिक उपभोग को उपरोक्तानुसार निर्धारित अधिभार से गुणा करके आगणित हो रही धनराशि अथवा वर्ष 2010–11 की लाइसेंस फीस में से जो अधिक हो, को वर्ष 2011–12 के लिए संदर्भगत दुकान की लाइसेंस फीस निर्धारित किया जायेगा।

बीयर की फुटकर बिकी की दुकानों की लाइसेंस फीस वर्ष 2012–13 हेतुः–

बीयर दुकान के लिए उपरोक्तानुसार वर्ष 2011–12 हेतु निर्धारित अधिभार रु0 6 प्रति बोतल में वृद्धि करते हुए वर्ष 2012–13 हेतु रु0 7 प्रति बोतल का अधिभार प्रस्तावित किये जाने का निर्णय लिया गया है। किसी भी बीयर दुकान के उपरोक्तानुसार अनुमानित वार्षिक उपभोग को निर्धारित अधिभार से गुणा करके आगणित हो रही धनराशि अथवा वर्ष 2011–12 की लाइसेंस फीस में से जो अधिक हो, को वर्ष 2012–13 के लिए संदर्भगत दुकान की लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी।

2. **आगरा, वाराणसी, लखनऊ तथा गोरखपुर जोन में बीयर की फुटकर बिकी की दुकानों का व्यवस्थापन :–**

(क) वर्ष 2011–12 हेतु

बीयर की फुटकर बिकी की वर्ष 2010–11 में संचालित दुकानों का नवीनीकरण वर्ष 2011–12 में निम्नलिखित प्रतिबंधों के साथ किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

1– अंतिम व्ययगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2– वर्ष 2010–11 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3– वर्ष 2011–12 के लिए निर्धारित देयताओं की अदायगी के लिये अनुज्ञापी तत्पर हों।

4– उपरोक्तानुसार नवीनीकृत न हो सकी दुकानों को वर्ष 2011–12 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन देकर आवेदन मांग कर व्यवस्थित कराया जायेगा। यदि किसी दुकान पर एक ही आवेदन प्राप्त होता है, और नियमानुसार उचित पाया जाता है तो दुकान का आवंटन आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में दुकान का आवंटन नियमानुसार सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। इसी के साथ नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन भी निकायवार निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मांग कर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जायेगा।

5– वर्ष 2010–11 में संचालित हो रही दुकानों के उपरोक्तनुसार भी व्यवस्थित न होने पर इनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2010–11 की लाइसेंस फीस पर आफर मांग कर कराया जायेगा। प्रतिबंध यह रहेगा कि वर्ष 2010–11 की लाइसेंस फीस से कम का आफर स्वीकार न होगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

3. **अन्य देशों से आयातित वाइन पर परमिट फीस :-**

वर्ष 2010-11 में अन्य देशों से आयातित वाइन पर परमिट फीस रू0 66.66 प्रति लीटर या एम.आर.पी. का 25 प्रतिशत जो अधिक हो, निर्धारित है। इसे वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

4. **अन्य देशों से आयातित वाइन पर एम.आर.पी. अंकित किया जाना :-**

अन्य देशों से आयातित वाइन पर एम.आर.पी. अंकित किये जाने का प्राविधान वर्ष 2010-11 की भांति वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में भी यथावत बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

5. **अन्य देशों से आयातित वाइन का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशनः-**

वर्ष 2010-11 में आयातित वाइन पर विदेशी मदिरा की भांति ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन हेतु 20,000/- प्रति ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस निर्धारित है। वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में इसे यथावत् बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया।

6. **भारतीय वाइन का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबुल अनुमोदनः-**

भारत निर्मित वाइन की ब्रान्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2010-11 में रू0 5000/- एवं लेबुल अनुमोदन फीस भी रू0 5000/- निर्धारित है। इन्हें वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में भी यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

7. **वाइन की बिकी :-**

वाइन की बिकी वर्ष 2010-11 की ही भॉति वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में भी विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों से किये जाने का निर्णय लिया गया है।

8. **कम तीव्रता के मादक पेय की बिकी :-**

वर्ष 2010-11 में सेना के अधिकारियों को एफ0एल0-9 अनुज्ञापनों के माध्यम से बीयर की भांति एल.ए.बी. की अनुमन्य बिकी को वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में भी यथावत बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

9. **कम तीव्रता के मादक पेय का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन एवं लेबुल अनुमोदनः-**

कम तीव्रता के मादक पेय के ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन व लेबुल अनुमोदन की फीस वर्ष 2010-11 में क्रमशः रू0 3000/- व रू0 5000/- निर्धारित है। वर्ष 2010-11 की भॉति वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में इनके ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन व लेबुल अनुमोदन फीस को यथावत बनाये रखा गया है।

10. **कम तीव्रता के मादक पेय , ऐल, पोर्ट, साइडर व अन्य फर्मेन्टेड लिकर पर प्रतिफल फीस :-**

उपरोक्त मादकों पर गत वर्षो में बीयर की भांति ही प्रतिफल फीस ली जाती रही है। इस व्यवस्था को वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में भी यथावत बनाये रखा गया है।

4(5)- बीयर :-

		वाले अनुज्ञापन हेतु ।	
		(घ) किसी क्लब, होटल, रेस्टोरेन्ट, बैकेट हाल, रिसोर्टस, फार्म हाउस, बारात घर, संस्था द्वारा किसी वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु आयोजित समारोह के लिए अनुज्ञापन हेतु।	रु0 5000/- प्रति दिन

(23) अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर परमिट फीस :-

(क) वर्ष 2010-11 हेतु अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा की परमिट फीस निम्नानुसार निर्धारित है:-

एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य	परमिट फीस
रु0 0 से 500 तक	रु0 640 प्रति लीटर
रु0 500 से अधिक	रु0 660 प्रति लीटर

भारत निर्मित विदेशी मदिरा के स्कॉच श्रेणी की प्रतिफल फीस में वृद्धि प्रस्तावित होने के कारण समानता के दृष्टिगत अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर वर्ष 2011-12 व वर्ष 2012-13 में निम्नानुसार परमिट फीस लिये जाने का निर्णय लिया गया है:-

(ख) **वर्ष 2011-12 हेतु परमिट फीस :-**

एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य	परमिट फीस
रु0 0 से 500 तक	रु0 670 प्रति लीटर
रु0 500 से अधिक	रु0 690 प्रति लीटर

(ग) **वर्ष 2012-13 हेतु परमिट फीस :-**

एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य	परमिट फीस
रु0 0 से 500 तक	रु0 770 प्रति लीटर
रु0 500 से अधिक	रु0 795 प्रति लीटर

4(4)- वाइन एवं कम तीव्रता के मादक पेय :-

1. **भारत में निर्मित वाइन पर आयात शुल्क :-**

वर्ष 2010-11 में वाइन पर आयात शुल्क रु0 3/- प्रति लीटर है। इसे वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

2. **भारत निर्मित वाइन पर प्रतिफल फीस :-**

वर्ष 2010-11 में वाइन पर प्रतिफल फीस न्यूनतम् रू0 66.66 प्रति लीटर या एम.आर.पी. का 25 प्रतिशत जो अधिक हो, निर्धारित है। इसे वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 हेतु यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

परन्तु प्रतिबंध यह होगा कि किसी भी बार अनुज्ञापन की वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 की लाइसेंस फीस वर्ष 2010–11 में दी गयी कुल लाइसेंस फीस से कम नहीं होगी। लाइसेंस फीस की अदायगी के उपरान्त उपरोक्त दोनों बिन्दुओं में वर्णित सुविधाएं होटल के अन्तःवासियों हेतु अनुमन्य होंगी। साथ ही वर्ष 2010–11 की भांति वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में भी निम्न सुविधाएं अनुमन्य रहेंगीः–

(1) भारत निर्मित विदेशी मदिरा तथा आयातित विदेशी मदिरा की प्रदेश में विक्रय हेतु अनुमन्य ब्राण्डों की 60 एम.एल. की धारिता की बोतलों की होटल के कमरों में उपलब्धता।

(2 ड्राट बीयर एवं बीयर की सभी धारिताओं की बोतलों, केन पैक सहित, उपलब्धता।

(3) वाइन की सभी धारिताओं की बोतलों की उपलब्धता।

(21) बार अनुज्ञापनों की कार्यावधि :–

वर्ष 2010–11 में सभी बार अनुज्ञापनों की कार्यावधि प्रत्येक दिनों में 12 बजे दोपहर से रात्रि 12 बजे तक निर्धारित है, साथ ही नगर निगम वाले नगरों तथा गौतमबुद्वनगर में स्थित बारों से एक लाख पच्चीस हजार रुपये अतिरिक्त वार्षिक फीस लेकर 1.00 बजे रात्रि तक बार में उपभोग अनुमन्य है। वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में इसे यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(22) अकेजनल बार लाइसेंस :–

अकेजनल बार लाइसेंस अवैध मदिरा के विक्रय की रोकथाम एवं राजस्व प्राप्ति के एक अच्छे स्रोत के रूप में विकसित हो सकता है। व्यावहारिक अनुभव एवं राजस्व हित में उक्त लाइसेंस फीस की श्रेणियों एवं लाइसेंस फीस में वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 हेतु निम्नानुसार परिवर्तन किया गया हैः–

2006–07 से वर्ष 2010–11 तक के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस		वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 के लिए प्रस्तावित लाइसेंस फीस	
(क) लाभ अर्जित न करने वाले क्लबों/संस्थाओं और व्यक्तियों के लिए	रू0 500/– प्रति दिन	(क) किसी व्यक्ति के अपने घर/ निजी स्थान (Private Place) पर आयोजित समारोह के लिए, जिसमें कोई लाभ अर्जन न हो।	रू0 1000/– प्रति दिन
(ख) लाभ अर्जित करने वाले वाणिज्यिक संस्थाओं और होटल आदि के लिए	रू0 3000/– प्रति दिन	(ख) किसी क्लब, संस्था, व्यक्ति द्वारा किसी होटल/ रेस्टोरेन्ट/बैंकेट हाल/ रिसोर्टस/फार्म हाउस/बारात घर आदि में गैर वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु आयोजित समारोह के लिये प्रदत्त किये जाने वाले अनुज्ञापन हेतु ।	रू0 3000/– प्रति दिन
		(ग) किसी क्लब, संस्था, व्यक्ति द्वारा किसी होटल/ रेस्टोरेन्ट/बैंकेट हाल/ रिसोर्टस/फार्म हाउस/बारात घर आदि में वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु आयोजित समारोह के लिये प्रदत्त किये जाने	रू0 4000/– प्रति दिन

विदेशी मदिरा पर निर्यात फीस वर्ष 2010–11 में रु0 5/– प्रति बल्क ली0 तथा बोतलों में रु0 2.67/– प्रति ए0एल0 निर्धारित है, जिसे वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 हेतु यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(19) विदेशी मदिरा की 90 एम0एल0 व 60 एम0एल0 की धारिता में आपूर्ति :–

वर्ष 2010–11 की भांति वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 हेतु 90 एम0एल0 की धारिता की बोतलों में विदेशी मदिरा की बिकी केवल सेमी प्रीमियम अल्फा व उससे ऊपर की श्रेणियों में तथा शीशे की बोतलों के साथ–साथ "सिरोंग पैक" में भी अनुमन्य है। साथ ही वर्ष 2010–11 की भांति सुपर प्रीमियम व स्काच श्रेणियों में 60 एम0एल0 धारिता की बोतलों की बिकी वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 हेतु अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(20) बार /क्लब लाइसेंस :–

गत वर्षो की व्यवस्था को समाप्त कर बार अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 हेतु निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

होटल/रेस्टोरेन्ट बार/ क्लब परमिट	निश्चित फीस प्रणाली (रुपये में)		
(1)	(2)	(3)	(4)
	आगरा के नगर निगम या नगर पालिका परिषद क्षेत्र, जिसमें छावनी बोर्ड और विकास प्राधिकरण यदि कोई हों, के क्षेत्र भी सम्मिलित है, में स्थित होटल	कानपुर,, इलाहाबाद, वाराणसी, नोयडा, लखनऊ, गोरखपुर, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़, बुलन्दशहर, झांसी, मथुरा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के नगर निगम या नगर पालिका, परिषद क्षेत्र में जिसमें छावनी बोर्ड और विकास प्राधिकरण, यदि कोई हो, के क्षेत्र भी सम्मिलित है, में स्थित होटल	स्तम्भ–2 और 3 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से भिन्न क्षेत्र में स्थित होटल
(क) एफ0एल0–6(समिश्र) कमरों की संख्या के आधार पर होटलों का वर्गीकरण (एक) 30 कमरों तक	500000	500000	400000
(दो) 30 कमरों से अधिक किन्तु 70 से अनाधिक तक	600000	600000	450000
(दो) 70 कमरों से अधिक किन्तु 100 से अनाधिक तक	650000	650000	600000
(तीन) 100 से अधिक कमरे	750000	750000	650000
(ख) एफ0एल0–6क (समिश्र) (चार व पांच सितारा होटल)	1200000	1200000	1100000
(ग) एफ0एल0–7 के लिए	475000	450000	350000
(घ) एफ0एल0–7ख के लिए	150000	150000	100000
(ङ) एफ0एल0–7सी (क्लब बार)			
(एक) 100 सदस्यों तक	125000	125000	125000
(दो) 101 से 500 तक के सदस्यों के लिए	175000	175000	175000
(तीन) 500 से अधिक सदस्यों के लिए	200000	200000	200000

8

अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर वर्ष 2010-11 की भांति वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 हेतु भी एम0आर0पी0 अंकित कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

(13) विदेशी मदिरा का सी0एस0डी0 का थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0-2ए):-

विदेशी मदिरा के एफ0एल0-2ए अनुज्ञापन (सी0एस0डी0) की लाइसेंस फीस वर्ष 2010-11 में रू0 2500/- निर्धारित है। इसे वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 हेतु यथावत् बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(14) एफ0एल0-1/एफ0एल0-1ए (आसवनी स्तर से विदेशी मदिरा आपूर्ति के थोक अनुज्ञापन) :-

वर्ष 2010-11 में एफ0एल0-1/एफ0एल0-1ए की लाइसेंस फीस रू 3,50,000/- एवं प्रतिभूति धनराशि रू0 35000/- प्रति अनुज्ञापन निर्धारित है। इसे वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 हेतु भी यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(15)बी0डब्लूएफ0एल0-2ए/2बी/2सी/2डी अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस (अन्य प्रान्तों के आसवक/ यवासक/द्राक्षासवक एवं एल0ए0बी0 निर्माताओं के लिए) :-

बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए/2बी/2सी/2डी अनुज्ञापनों की लाइसेंस फीस वर्ष 2010-11 की भांति वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 हेतु यथावत निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:-

अनुज्ञापन का प्रकार	लाइसेंस फीस (लाख रुपये में)	प्रतिभूति धनराशि (लाख रुपये में)	अभ्युक्ति
BWFL-2A	5.00	3.00	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित विदेशी मदिरा की बिकी हेतु।
BWFL-2B	3.50	1.00	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित बीयर की बिकी हेतु।
BWFL-2C	0.50	0.25	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित वाइन की बिकी हेतु।
BWFL-2D	0.25	0.10	अन्य राज्यों की इकाईयों में उत्पादित एल.ए.बी. की बिकी हेतु।

(16) विदेशी मदिरा के लेबुलों की अनुमोदन फीसः-

वर्ष 2010-11 में विदेशी मदिरा के लेबुलों की अनुमोदन फीस रू0 20000/- प्रति लेबुल निर्धारित है। इसे वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 हेतु रू0 25000/- प्रति लेबुल किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(17) विदेशी मदिरा पर आयात अनुज्ञा पत्र फीसः-

बोतलों में आयातित विदेशी मदिरा पर आयात अनुज्ञा पत्र फीस वर्ष 2010-11 में 4/- रूपये प्रति बल्क लीटर निर्धारित है। इसे वर्ष 2011-12 व वर्ष 2012-13 हेतु यथावत् बनाये रखा जाय। विदेशी मदिरा के बल्क में आयात पर (मिलट्री कैन्टीन या सी0एस0डी0 लाइसेंस धारी को छोड़कर) रू0 3/- प्रति बल्क लीटर आयात अनुज्ञा पत्र फीस वर्ष 2010-11 की भांति वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 हेतु रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(18) विदेशी मदिरा की निर्यात फीस (सिविल):-

गत वर्ष की आबकारी नीति में विदेशी मदिरा की सभी श्रेणियों का निर्माण ई०एन०ए० से करने की व्यवस्था प्रभावी की गयी थी । इस व्यवस्था को वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में भी प्रचलित रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(ग) एफ०एल०-2बी अनुज्ञापनों का अनुज्ञापन शुल्कः-

वर्ष 2010-11 की भांति वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 हेतु बीयर की थोक आपूर्ति एफ०एल०-2बी अनुज्ञापनों के माध्यम से भी कराये जाने तथा इसका अनुज्ञापन शुल्क भी वर्ष 2010-11 की भांति वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में रु0 5.00 लाख यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(घ) एफ०एल०-2डी अनुज्ञापनों का अनुज्ञापन शुल्कः-

समुद्रपार से आयातित विदेशी मदिरा का व्यवसाय अभी शैशवकाल में है। अतः इस क्षेत्र में प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए अनुज्ञापन शुल्क में वृद्धि किया जाना राजस्व हित में नहीं होगा। अतः वर्ष 2010-11 की भांति वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में इसका अनुज्ञापन शुल्क यथावत् रू0 50,000 ही रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(9) सी०एस०डी० को आपूर्ति की जाने वाली विदेशी मदिरा की लाइसेंस फीस एवं प्रतिफल फीस :-

सी०एस०डी० को आपूर्ति की जाने वाली विदेशी मदिरा पर लाइसेंस फीस एंव प्रतिफल फीस की दर गतवर्ष की भांति सिविल में अनुमन्य लाइसेंस फीस एवं प्रतिफल फीस की आधी दर से आरोपण की व्यवस्था को वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 के लिये प्रचलित रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(10) भारत निर्मित विदेशी मदिरा का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशनः-

(क) वर्ष 2011-12 हेतु ब्राण्ड रजिस्ट्रेशनः-

भारत निर्मित विदेशी मदिरा की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस को वर्ष 2010-11 में निर्धारित रू0 35,000/- प्रति ब्राण्ड से बढ़ाकर वर्ष 2011-12 हेतु रु0 40000/- प्रति ब्राण्ड निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। अग्रेतर प्रतिबंध यह होगा है कि यदि कोई निर्माता अपने ब्राण्ड का पंजीयन वर्ष 2011-12 में वर्ष 2010-11 के सापेक्ष निम्न श्रेणी में कराता है, जिससे वर्ष 2010-11 के सापेक्ष प्रतिफल फीस कम निर्धारित होती है, तो पूर्व वर्ष व चलित वर्ष के पंजीकरण श्रेणी की प्रतिफल फीस, जो भी अधिक होगी, देय होगी।

(ख) वर्ष 2012-13 हेतु ब्राण्ड रजिस्ट्रेशनः-

भारत निर्मित विदेशी मदिरा की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2011-12 हेतु रू0 40,000/- प्रति ब्राण्ड निर्धारित की गई है। वर्ष 2012-13 में भी ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस की उक्त दर को यथावत रखा जायेगा। अग्रेतर प्रतिबंध यह होगा है कि यदि कोई निर्माता अपने ब्राण्ड का पंजीयन वर्ष 2012-13 में वर्ष 2011-12 के सापेक्ष निम्न श्रेणी में कराता है, जिससे वर्ष 2011-12 की अपेक्षा प्रतिफल फीस कम निर्धारित होती है, तो पूर्व वर्ष व चलित वर्ष के पंजीकरण श्रेणी की प्रतिफल फीस, जिसमें प्रतिफल फीस अधिक होगी, देय होगी।

(11) अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा का ब्राण्ड रजिस्ट्रेशनः-

वर्ष 2010-11 में आयातित विदेशी मदिरा की ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन फीस प्रति ब्राण्ड रु0 20000/- निर्धारित है। वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 हेतु इसे यथावत बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(12) अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा पर एम०आर०पी० अंकित किये जाने का प्राविधान :-

3.	42/- से अधिक 52/- तक	रेगुलर बीटा	EEB	255.00	191.25
4.	52/- से अधिक 62/- तक	रेगुलर अल्फा	EEA	275.00	206.25
5.	62/- से अधिक 82/- तक	सेमी प्रीमियम बीटा	DDB	315.00	236.25
6.	82/- से अधिक 102/- तक	सेमी प्रीमियम अल्फा	DDA	360.00	270.00
7.	102/- से अधिक 130/- तक	प्रीमियम बीटा	CCB	410.00	307.50
8.	130/-से अधिक 170/- तक	प्रीमियम अल्फा	CCA	460.00	345.00
9.	170/-से अधिक 230/- तक	सुपर प्रीमियम बीटा	BBB	615.00	461.25
10.	230/-से अधिक 290/- तक	सुपर प्रीमियम अल्फा	BBA	640.00	480.00
11.	290/- से अधिक 500/- तक	स्काच बीटा	AAB	770.00	577.50
12.	500/- से अधिक	स्काच अल्फा	AAA	795.00	596.25

(7) विदेशी मदिरा की एम0आर0पी0 :-

वर्ष 2010-11 की भांति वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में भी बोतल, लेबुल व पी.पी.कैप के मूल्यों का अधिभार बोतल के सापेक्ष छोटी धारिताओं में अधिक पड़ने के दृष्टिगत, 375 एम0एल0 की धारिता में रू0 3 तथा अन्य धारिताओं यथा 180 एम0एल0, 90 एम0एल0 व 60एम0एल0 के मूल्य निर्धारण में रु0 5, बोतल (750 एम0एल0) की एम.आर.पी. निर्धारण के लिए प्रस्तावित एक्स आसवनी मूल्य में बढ़ाकर लिया जाय।

उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2004-05 से प्रचलित विदेशी मदिरा के अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य को राउन्ड आफ करते हुए 5 के गुणांक में अगले स्तर पर निर्धारित कर-अन्तर की धनराशि को अतिरिक्त प्रतिफल फीस के रुप में, वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 हेतु भी यथावत लिया जायेगा।

(8) विदेशी शराब की थोक आपूर्ति:-

(क) वर्ष 2010-11 की भांति, वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 में भी विदेशी मदिरा (बीयर, वाइन, एल0ए0बी0 सहित) की थोक आपूर्ति एफ0एल0-2 अनुज्ञापनों के माध्यम से कराया जायेगा तथा अनुज्ञापन शुल्क भी गतवर्ष की भांति जनपद में विदेशी मदिरा के फुटकर अनुज्ञापनों से विक्रय होने वाली अनुमानित बोतलों की संख्या के आधार पर निम्नानुसार निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

क्रम संख्या	जनपद में वर्ष 2010-11 एवं वर्ष 2011-12 में फुटकर अनुज्ञापनों से विक्रय होने वाली अनुमानित बोतलों की संख्या	लाइसेन्स फीस (रूपये में)
1	7,00,000 बोतलों तक	5.00 लाख
2	7,00,000 से 15,00,000 बोतल तक	10.00 लाख
3	15,00,000 से 25,00,000 लाख बोतल तक	20.00 लाख
4	25,00,000 से 30,00,000 बोतल तक	30.00 लाख
5	30,00,000 बोतल से अधिक	40.00 लाख

उपरोक्तानुसार उपभोग का आगणन मुख्यालय में उपलब्ध अन्तिम मास तक के उपभोग विवरण के आधार पर किया जाएगा।

(ख) विदेशी मदिरा का ई0एन0ए0 से निर्माण।-

दुकानें, जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित नहीं हो सकेंगी, का व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित कराने के बाद वर्ष 2011–12 व वर्ष 2012–13 के लिये निर्धारित लाइसेन्स फीस के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, पर सम्पन्न कराया जाय। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

(6) विदेशी मदिरा की प्रतिफल फीसः–

(क) वर्ष 2011–12 हेतु प्रतिफल फीसः–

गत वर्षो में प्रचलित रही सस्ती और मीडियम बीटा श्रेणियों को एक में समाहित करके एक नई श्रेणी **'इकोनोमी श्रेणी'** के रुप में बनाया गया है। मीडियम बीटा श्रेणी को इकोनोमी श्रेणी के रुप में समाहित किये जाने के फलस्वरूपा मीडियम अल्फा श्रेणी को केवल **मीडियम श्रेणी** के रुप में बनाये रखा जाय। विदेशी मदिरा की एक्स आसवनी मूल्य की मीडियम श्रेणी से सेमी प्रीमियम अल्फा तक की श्रेणियों में रु0 2 की वृद्धि करते हुये वर्ष 2011–12 हेतु विदेशी मदिरा की **इकोनोमी श्रेणी** की प्रतिफल फीस में रु0 30 प्रति लीटर की वृद्धि तथा अन्य श्रेणियों में 5 प्रतिशत (5 रु0 के निकटतम गुणक में) की वृद्धि करते हुए विभिन्न श्रेणियां तथा उनके लिये प्रस्तावित प्रतिफल फीस निम्नानुसार निर्धारित की गई हैः–

एक्स आसवनी मूल्य (750 एम.एल. प्रति बोतल) (रु0 में)		श्रेणी		वर्ष 2011–12 हेतु प्रस्तावित प्रतिफल फीस	
				प्रति लीटर	प्रति बोतल
1.	0 से 30/– तक	इकोनोमी	GGG	200.00	150.00
2.	30/– से अधिक 42/– तक	मीडियम	FFF	210.00	157.50
3.	42/– से अधिक 52/– तक	रेगुलर वीटा	EEB	220.00	165.00
4.	52/– से अधिक 62/– तक	रेगुलर अल्फा	EEA	240.00	180.00
5.	62/– से अधिक 82/– तक	सेमी प्रीमियम बीटा	DDB	275.00	206.25
6.	82/– से अधिक 102/– तक	सेमी प्रीमियम अल्फा	DDA	315.00	236.25
7.	102/– से अधिक 130/– तक	प्रीमियम बीटा	CCB	355.00	266.25
8.	130/–से अधिक 170/– तक	प्रीमियम अल्फा	CCA	400.00	300.00
9.	170/–से अधिक 230/– तक	सुपर प्रीमियम बीटा	BBB	535.00	401.25
10.	230/–से अधिक 290/– तक	सुपर प्रीमियम अल्फा	BBA	555.00	416.25
11.	290/– से अधिक 500/– तक	स्काच बीटा	AAB	670.00	502.50
12.	500/– से अधिक	स्काच अल्फा	AAA	690.00	517.50

(ख) वर्ष 2012–13 हेतु प्रतिफल फीसः–

वर्ष 2011–12 हेतु प्रस्तावित श्रेणियों में 15 प्रतिशत (5 रु0 के निकटतम गुणक में) की वृद्धि करते हुए निम्नानुसार प्रतिफल फीस निर्धारित की जायेगीः–

एक्स आसवनी मूल्य (750 एम.एल. प्रति बोतल) (रु0 में)		श्रेणी		वर्ष 2012–13 हेतु प्रस्तावित प्रतिफल फीस	
				प्रति लीटर	प्रति बोतल
1.	0 से 30/– तक	इकोनोमी	GGG	230.00	172.50
2.	30/– से अधिक 42/– तक	मीडियम	FFF	240.00	180.00

की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के समस्त अनुज्ञापन निरस्तीकरण योग्य होंगे। इस प्रकार निरस्त/रिक्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमानुसार किया जायेगा।

(3) विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों हेतु प्रोसेसिंग फीस व नवीनीकरण शुल्क :–

वर्ष 2010–11 में प्रोसेसिंग फीस रू0 3000/– प्रति आवेदन पत्र निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2011–12 के लिए रू0 5000/– प्रति आवेदन पत्र किये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2011–12 से उक्त प्रोसेसिंग फीस पर तत्समय निर्धारित दर पर वैट तथा नियमानुसार देय अन्य करों की वसूली भी अतिरिक्त रुप से देय होगी।

वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 के लिए निकायवार निर्धारित नवीनीकरण शुल्क निम्नानुसार है:–

क्रमांक	निकाय	वर्ष 2010–11 हेतु निर्धारित (रुपये में)	वर्ष 2011–12 हेतु प्रस्तावित दर (रुपये में)	वर्ष 2012–13 हेतु प्रस्तावित दर (रुपये में)
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	35,000 प्रति दुकान	40,000 प्रति दुकान	45,000 प्रति दुकान
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	25,000 प्रति दुकान	30,000 प्रति दुकान	35,000 प्रति दुकान
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	17,500 प्रति दुकान	20,000 प्रति दुकान	22,500 प्रति दुकान
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	8,000 प्रति दुकान	10,000 प्रति दुकान	12,000 प्रति दुकान

(4) विदेशी मदिरा की दुकानों का सृजन:–

वर्ष 2010–11 की भांति वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश को 15 प्रतिशत दुकानों के सृजन का अधिकार होगा तथा 15 प्रतिशत से अधिक होने पर दुकानों का सृजन शासन की अनुमति से किया जायेगा।

वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 के लिए, वर्ष 2010–11 की भांति नवसृजित दुकानों की लाइसेंस फीस निम्नानुसार रखी गई है:–

क्रम सं0	दुकान की प्रास्थिति	वर्ष 2010–11 हेतु निर्धारित न्यूनतम लाइसेंस फीस	वर्ष 2011–12 हेतु प्रस्तावित न्यूनतम लाइसेंस फीस	वर्ष 2012–13 हेतु प्रस्तावित न्यूनतम लाइसेंस फीस
1	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि0मी0 की परिधि तक	6,40,000/–	6,40,000/–	6,40,000/–
2	नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि0मी0 की परिधि तक	2,15,000/–	2,15,000/–	2,15,000/–
3	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि0मी0 की परिधि तक	1,00,000/–	1,00,000/–	1,00,000/–
4	ग्रामीण	50,000/–	50,000/–	50,000/–

विदेशी मदिरा की समस्त दुकानों (नवसृजित सहित) की प्रास्थिति का निर्धारण नियमानुसार किया जायेगा। इस संबंध में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा समय–समय पर प्रसारित परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की दैनिक लाइसेंस फीस:–

वर्ष 2010–11 में विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की दैनिक लाइसेन्स फीस दुकान की निर्धारित वार्षिक लाइसेन्स फीस का 1/365 भाग लिया जाना निर्धारित है। वर्ष 2011–12 व वर्ष 2012–13 में भी वर्ष 2010–11 की भांति दैनिक व्यवस्थापन की व्यवस्था को बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है। परन्तु ऐसी

कराया जायेगा। प्रतिबंध यह रहेगा कि वर्ष 2010–11 की लाइसेंस फीस से कम का आफर स्वीकार न होगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

6– **विशिष्ट मेरठ जोन में विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापनः–**

6.1 विशिष्ट मेरठ जोन की विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन प्रस्तर 4(1) के अनुसार प्रस्तर 4(3)1 में वार्णित प्रकिया के अनुरुप कराया जाय।

6.2 चयनित अनुज्ञापी द्वारा विशिष्ट मेरठ जोन की विदेशी मदिरा की वर्ष 2010–11 में संचालित समस्त फुटकर बिक्री की दुकानों एवं नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन वर्ष 2011–12 के लिये निर्धारित लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि के आधार पर कराना होगा। किसी भी दुकान का व्यवस्थापन न कराने की दशा में मेरठ जोन की देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के अनुज्ञापी के रुप में किया गया उसका चयन निरस्तीकरण योग्य होगा, जिसके तारतम्य में उसको प्रदत्त देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के समस्त अनुज्ञापन निरस्तीकरण योग्य होंगे। इस प्रकार निरस्त/रिक्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमानुसार किया जायेगा।

(ख) **विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का वर्ष 2012–13 हेतु व्यवस्थापनः–**

विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की वर्ष 2011–12 में संचालित दुकानों, का नवीनीकरण वर्ष 2012–13 हेतु निम्न प्रतिबंधों के साथ किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

1– अंतिम व्ययगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2– वर्ष 2011–12 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3– वर्ष 2012–13 के लिए निर्धारित देयताओं की अदायगी के लिये अनुज्ञापी तत्पर हों।

4– उपरोक्तानुसार नवीनीकृत न हो सकी दुकानों को वर्ष 2012–13 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन देकर, आवेदन मांग कर व्यवस्थित कराया जायेगा। यदि किसी दुकान पर एक ही आवेदन प्राप्त होता है, और नियमानुसार उचित पाया जाता है तो दुकान का आवंटन आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में दुकान का आवंटन नियमानुसार सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। इसी के साथ नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन भी निकायवार निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मांगकर सार्वजनिक लाटरी से कराया जायेगा।

5– वर्ष 2011–12 में संचालित हो रही दुकानों के उपरोक्तनुसार भी व्यवस्थित न होने पर इनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2011–12 की लाइसेंस फीस पर आफर मांग कर कराया जायेगा। प्रतिबंध यह रहेगा कि वर्ष 2011–12 की लाइसेंस फीस से कम का आफर स्वीकार न होगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

6– मेरठ जोन के वर्ष 2011–12 के अनुज्ञापी को जोन की विदेशी मदिरा की समस्त फुटकर बिक्री की दुकानें वर्ष 2012–13 हेतु निर्धारित नवीनीकरण फीस, लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि के आधार पर नवीनीकृत कराना एवं नवसृजित दुकानों के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि के आधार पर अनुज्ञापन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किसी भी दुकान का व्यवस्थापन न कराने की दशा में मेरठ जोन की देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के अनुज्ञापी के रुप में किया गया उसका चयन निरस्तीकरण योग्य होगा, जिसके तारतम्य में उसको प्रदत्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर

4–(3) विदेशी मदिरा :–

(1) विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की वर्ष 2011–12 हेतु लाइसेंस फीस :–

वर्ष 2010–11 की भांति वर्ष 2011–12 में भी प्रति बोतल लाइसेंस फीस के अधिभार के आधार पर विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीस निर्धारित करने की व्यवस्था को यथावत रखा जाय। इस हेतु व्यवस्थापन की प्रकिया प्रारम्भ होने तक आयुक्तालय में उपलब्ध अंतिम मास के उपभोग के आंकड़ों के आधार पर गत वर्ष की भांति लाइसेंस फीस निर्धारित की जाय। वर्ष 2010–11 में रूपये 26 प्रति बोतल अधिभार निर्धारित था। वर्ष 2011–12 हेतु विदेशी मदिरा पर अधिभार रु0 30 प्रति बोतल रखा गया है। किसी भी विदेशी मदिरा दुकान के अंतिम व्ययगत मास तक के उपभोग के आधार पर अनुमानित वार्षिक उपभोग को उपरोक्तानुसार निर्धारित अधिभार से गुणा करके आगणित हो रही धनराशि अथवा वर्ष 2010–11 की लाइसेंस फीस में से जो भी अधिक हो, को वर्ष 2011–12 के लिए संदर्भगत दुकान की लाइसेंस फीस निर्धारित की गई है। परन्तु प्रतिबंध यह होगा कि किसी भी विदेशी मदिरा की दुकान की अधिकतम लाइसेंस फीस रु0 40 लाख से अधिक निर्धारित नहीं होगी।

विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की वर्ष 2012–13 हेतु लाइसेंस फीस :–

विदेशी मदिरा दुकान के लिए उपरोक्तानुसार वर्ष 2011–12 हेतु प्रस्तावित अधिभार रु0 30 प्रति बोतल में वृद्धि करते हुए वर्ष 2012–13 हेतु रु0 32 प्रति बोतल अधिभार रखा जायेगा। किसी भी विदेशी मदिरा दुकान के उपभोग को उपरोक्तानुसार निर्धारित अधिभार से गुणा करके आगणित हो रही धनराशि अथवा वर्ष 2011–12 की लाइसेंस फीस में से जो भी अधिक हो, को वर्ष 2012–13 के लिए संदर्भगत दुकान की लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी। परन्तु प्रतिबंध यह होगा कि किसी भी विदेशी मदिरा की दुकान की अधिकतम लाइसेंस फीस रु0 40 लाख से अधिक निर्धारित नहीं होगी।

(2) आगरा, वाराणसी, लखनऊ तथा गोरखपुर जोन में विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन :–

(क) विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का वर्ष 2011–12 हेतु व्यवस्थापन:–

विदेशी मदिरा की वर्ष 2010–11 में संचालित दुकानों, का नवीनीकरण वर्ष 2011–12 में निम्नलिखित प्रतिबंधों के साथ किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

1– अन्तिम व्ययगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2– वर्ष 2010–11 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3– वर्ष 2011–12 के लिए निर्धारित देयताओं की अदायगी के लिये अनुज्ञापी तत्पर हों।

4– उपरोक्तानुसार नवीनीकृत न हो सकी दुकानों को वर्ष 2011–12 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन देकर, आवेदन मांग कर व्यवस्थित कराया जायेगा। यदि किसी दुकान पर एक ही आवेदन प्राप्त होता है, और नियमानुसार उचित पाया जाता है तो दुकान का आवंटन आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में दुकान का आवंटन नियमानुसार सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। इसी के साथ नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन भी निकायवार निर्धारित लाइसेंस फीस पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मांगकर सार्वजनिक लाटरी से कराया जायेगा।

5– वर्ष 2010–11 में संचालित हो रही दुकानों के उपरोक्तनुसार भी व्यवस्थित न होने पर इनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2010–11 की लाइसेंस फीस पर आफर मांग कर

वर्ष 2010–11 की भांति वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में भी सी0एल0–1सी अनुज्ञापी प्रदेश की विभिन्न अनुज्ञाधारी देशी मदिरा निर्माता आसवनियों से सीधे मदिरा प्राप्त करेगा। प्रदेश की आसवनियों से मदिरा प्राप्ति में कठिनाई की स्थिति में सी0एल0–1सी अनुज्ञापी आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 की विशेष अनुमति से राज्य के बाहर की आसवनियों से देशी मदिरा आयात कर सकेगा। प्रदेश में आयात की जाने वाली ऐसी मदिरा पर आयातकर्ता अनुज्ञाधारी द्वारा वर्ष 2010–11 की भाँति द्वारा प्रतिफल फीस का अग्रिम भुगतान कर आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के कार्यालय में स्थित सुरक्षा होलोग्राम आपूर्तक इकाई से सुरक्षा होलोग्राम प्राप्त करके संबंधित आसवनी ले जाकर वर्ष 2011–12 में भी बोतलों पर चस्पा कराया जायेगा। इस प्रकार सुरक्षा होलोग्राम युक्त मदिरा का ही आयात वर्ष 2010–11 की भांति वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में प्रदेश में अनुमन्य किया जायेगा।

(ग) <u>देशी शराब के ब्रान्डों की रजिस्ट्रेशन फीसः–</u>

देशी शराब के ब्रान्डों की रजिस्ट्रेशन फीस वर्ष 2010–11 हेतु देय रु0 10000/– प्रति ब्राण्ड से बढ़ाकर वर्ष 2011–12 हेतु रु0 15000 प्रति ब्राण्ड रखे जाने का निर्णय लिया गया है। यही बढ़ी हुई फीस वर्ष 2012–13 हेतु भी यथावत प्रभावी रहेगी।

(ट) <u>देशी शराब के लेबुलों का अनुमोदनः–</u>

देशी मदिरा की बोतलों के लेबुलों पर वर्ष 2010–11 की भॉति वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में भी बैच नम्बर व निर्माण की तिथि एवं आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अन्य लीजेण्ड अंकित करना अनिवार्य होगा। लेबुलों के अनुमोदन हेतु वर्ष 2010–11 में देय लेबुल अनुमोदन फीस रु0 10000/– प्रति लेबुल से बढ़ाकर वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 हेतु रु0 15000/– प्रति लेबुल रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2010–11 में देशी शराब के लेबुलों पर विक्रय के जोन का नाम अंकित नहीं किये जाने की व्यवस्था है। इसे वर्ष 2011–12 एवं 2012–13 में भी यथावत् बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(ठ) <u>देशी शराब निर्यात पास फीसः–</u>

देशी मदिरा की निर्यात पास फीस को वर्ष 2010–11 की भांति वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 के लिये भी यथावत् रू0 10/– प्रति ए0एल0 निर्धारित किया गया है।

(ड) <u>देशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की दैनिक लाइसेंस फीसः–</u>

वर्ष 2010–11 में देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानों की दैनिक बेसिक लाइसेन्स फीस एवं लाइसेन्स फीस (प्रतिफल फीस) दुकान की निर्धारित वार्षिक प्रतिफल फीस का 1/365 भाग लिया जाना निर्धारित है। वर्ष 2011–12 व वर्ष 2012–13 में भी वर्ष 2010–11 की भांति दैनिक व्यवस्थापन सम्पन्न कराया जाना है। ऐसी दुकानें, जो आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित नहीं हो सकेंगी, का व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन प्रकाशित कराने के बाद वर्ष 2011–12 व वर्ष 2012–13 के लिये निर्धारित दैनिक बेसिक लाइसेन्स फीस एवं लाइसेन्स फीस (प्रतिफल फीस) के सापेक्ष जो भी सर्वोच्च आफर प्राप्त हो, उस पर सम्पन्न कराया जाय। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

(ढ) <u>देशी शराब की आपूर्तिः–</u>

वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 में देशी मदिरा की आपूर्ति सभी निर्धारित धारिताओं में बाजार की मांग के अनुसार कांच/पेट बोतलों में की जायेगी।

प्रोसेसिंग फीस	--	रु0 2.50 लाख
प्रतिभूति धनराशि	--	रु0 90 लाख
लाइसेंस फीस	--	रु0 9.00 करोड़ प्रति अनुज्ञापन। इस लाइसेंस फीस की अदायगी निम्नानुसार कराया जाना प्रस्तावित है:-

आवेदन के समय	--	रु0 3.00 करोड़
दिनांक 30.06.11 तक	--	रु0 3.00 करोड़
दिनांक 30.09.11 तक	--	रु0 3.00 करोड़

<u>वर्ष 2012-13 के लिये :-</u>

नवीनीकरण फीस	रु0 3.00 लाख
प्रतिभूति धनराशि	रु0 95 लाख
लाइसेंस फीस	रु0 9.50 करोड़ प्रति अनुज्ञापन। इस लाइसेंस फीस की अदायगी निम्नानुसार कराया जाना प्रस्तावित है:-

आवेदन के समय	रु0 3.50 करोड़
दिनांक 30.06.12 तक	रु0 3.00 करोड़
दिनांक 30.09.12 तक	रु0 3.00 करोड़

वर्ष 2011-12 के सी0एल0-1बी अनुज्ञापी द्वारा वर्ष 2012-13 हेतु अनुज्ञापन का नवीनीकरण/व्यवस्थापन न कराये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुज्ञापन का पुर्नव्यवस्थापन किया जायेगा।

(ख) <u>सी0एल0-1सी अनुज्ञापन:-</u>

<u>वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 हेतु देयताएं निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैं:-</u>

सी0एल0-1 बी अनुज्ञापी को पूर्व की भांति प्रदेश के प्रत्येक जनपद में वर्ष 2011-12 एवं वर्ष 2012-13 हेतु सी0एल0-1सी अनुज्ञापन निम्नानुसार देय फीस/प्रतिभूति पर प्राप्त करना/ नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा:-

<u>वर्ष 2011-12 हेतु देयताएं</u>

प्रोसेसिंग फीस	रु0 12000 प्रति अनुज्ञापन
लाइसेंस फीस	रु0 1.25 लाख प्रति अनुज्ञापन
प्रतिभूति धनराशि	रु0 12500 प्रति अनुज्ञापन

<u>वर्ष 2012-13 हेतु देयताएं</u>

नवीनीकरण फीस	रु0 12000 प्रति अनुज्ञापन
लाइसेंस फीस	रु0 1.35 लाख प्रति अनुज्ञापन
प्रतिभूति धनराशि	रु0 13500 प्रति अनुज्ञापन

पूर्व प्रचलित व्यवस्था यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है। सी0एल0–1बी अनुज्ञापनों की अर्हताएं निम्नानुसार होंगीः–

1– 21 वर्ष की आयु से अधिक का व्यक्ति, जो भारत का नागरिक हो, रजिस्टर्ड भागीदारी फर्म या कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी ही अर्ह होगी। कन्सोंशियम अर्ह नहीं होंगे। पंजीकृत कम्पनी की स्थिति में आर्टिकिल आफ एसोसियेशन, मेमोरेण्डम आफ एसोसियेशन एवं सर्टीफिकेट आफ इनकारपारेशन प्रस्तुत करना होगा। रजिस्टर्ड भागीदारी कम्पनी की स्थिति में रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी। किसी व्यक्ति होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करेगा।

2– इस अनुज्ञापन के अन्तर्गत किये जाने वाले व्यापार में निहित धनराशि के दृष्टिगत राजस्व सुरक्षा की दृष्टि से आवेदक की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होना अत्यन्त आवश्यक है। अतः ऐसे आवेदक का शराब के थोक व्यवसाय में वर्ष 2008–09, 2009–10 या 2010–11 में से किसी एक वित्तीय वर्ष में रु0 400 करोड़ का न्यूनतम टर्नओवर होना चाहिए। टर्नओवर के प्रमाण के रुप में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं राज्य अथवा केन्द्र शासित क्षेत्र के आबकारी अथवा वाणिज्यकर विभागों द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र मान्य होंगे।

3– शराब के थोक व्यवसाय में अनुज्ञापी के रुप में अनुभव हो, आबकारी राजस्व के बकायेदार न हों एवं लाइसेंस धारण हेतु अन्यथा अनुपयुक्त न हो।

4– आवेदक प्रत्येक जोन के सी0एल0–1बी अनुज्ञापन के लिये पृथक–पृथक आवेदन करने हेतु स्वतंत्र होगा।

5– आबकारी आयुक्त को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा।

6– चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित बैलेंस शीट प्रस्तुत करनी होगी।

7– ऐसा आवेदक अल्कोहल उत्पादक/मदिरा का निर्माता नहीं होना चाहिए।

8– आवेदक को पैन नं0 प्रस्तुत करना होगा।

9– इस अनुज्ञापन का अनुज्ञापन शुल्क रु0 9 करोड़ तथा प्रतिभूति धनराशि रु0 90 लाख बैंक ड्राफ्ट के रुप देय में होगा।

10– उपरोक्त अनुज्ञापन शुल्क निम्नानुसार जमा किया जायेगाः–

रु0 3.00 करोड़	आवेदन स्वीकृति के समय
रु0 3.00 करोड़	दिनांक 30.06.11 तक
रु0 3.00 करोड़	दिनांक 30.09.11 तक

11– उपरोक्त प्रतिभूति धनराशि नियमों में निर्धारित समय सीमान्तर्गत जमा करनी होगी।

12– अनुज्ञापन हेतु आवेदन पत्र की प्रोसेसिंग फीस रु0 2.50 लाख होगी। धरोहर धनराशि रु0 50.00 लाख होगी, जो आवेदक के अनुज्ञापी के रुप में चयनित हो जाने की दशा में लाइसेंस फीस में समायोजनीय होगी।

सी0एल0–1बी अनुज्ञापन –

सी0एल0–1बी अनुज्ञापन के वर्ष 2011–12 के व्यवस्थापन हेतु आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर समुचित प्रचार प्रसार कराते हुऐ व्यवस्थापन कराया जायेगा। वर्ष 2011–12 हेतु व्यवस्थित प्रदेश के समस्त सी0एल0–1बी अनुज्ञापनों का नवीनीकरण वर्ष 2012–13 के लिये कराया जाना होगा। वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 के लिये सी0एल–1बी व सी0एल0–1सी0 अनुज्ञापनों की देयताएं निम्नानुसार होंगीः–

(क) सी0एल0–1बी अनुज्ञापन हेतु प्रति अनुज्ञापन देयताएं :–

वर्ष 2011–12 के लियेः–

प्रतिबंधों के साथ वर्ष 2012–13 हेतु यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2012–13 में वर्ष 2011–12 की भांति केवल ई0एन0ए0 से निर्मित देशी मदिरा का विक्रय अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है।

उक्त श्रेणियों के अधिकतम थोक व फुटकर विक्रय मूल्य संलग्नक–1 के अनुसार निर्धारित किया जाय।

(अ) देशी शराब की बोतलों की धारिताः–

वर्ष 2010–11 में पांच धारिताओं यथा 140, 180, 240, 525 तथा 1100 एम.एल. की बोतलों के प्रचलन को समाप्त कर उक्त के स्थान पर वर्ष 2011–12 में केवल 04 यथा 100, 200, 375 व 750 एम.एल. की धारिता की बोतलों में देशी मदिरा का विक्रय अनुमन्य किये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2011–12 के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित देशी शराब की बोतलों की धारिता 100, 200, 375 व 750 एम.एल. में विक्रय वर्ष 2012–13 हेतु भी अनुमन्य रहेगा।

(ब) देशी शराब की दुकानों का सृजनः–

गत वर्ष के शासनादेश के अनुसार 15 प्रतिशत नई दुकानों के सृजन का अधिकार आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 को प्रदत्त था। 15 प्रतिशत से अधिक की आवश्यकता होने पर शासन की स्वीकृति से दुकानों का सृजन किये जाने की व्यवस्था रही है। वर्ष 2011–12 व वर्ष 2012–13 में भी उक्त व्यवस्था को यथावत् बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2011–12 एवं वर्ष 2012–13 हेतु नवसृजित देशी शराब की दुकानों का एम.जी.क्यू. निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगाः–

क्रम सं0	दुकान की प्रास्थिति	वर्ष 2010–11 में निर्धारित एम.जी. क्यू. ब0ली0 में	वर्ष 2011–12 हेतु प्रस्तावित एम.जी. क्यू. ब0ली0 में	वर्ष 2012–13 हेतु प्रस्तावित एम.जी. क्यू. ब0ली0 में
1	नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि0मी0 की परिधि तक	17000	17000	17000
2	नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि0मी0 की परिधि तक	12000	12000	12000
3	नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि0मी0 की परिधि तक	7000	7000	7000
4	ग्रामीण	3500	3500	3500

देशी शराब की समस्त दुकानों (नवसृजित दुकानों सहित) की प्रास्थिति का निर्धारण नियमानुसार किया जायेगा। इस संबंध में आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा समय–समय पर प्रसारित परिपत्रों में दिये गये निर्देशों का कठोरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(स) देशी शराब की थोक आपूर्तिः–

वर्ष 2011–12 में देशी मदिरा की आपूर्ति को अपेक्षाकृत सुगम एवं सुचारु बनाने के दृष्टिगत प्रत्येक जोन में सी0एल0–1बी अनुज्ञापनों की संख्या 01 से अधिक रखा जाना होगा। इस प्रकार चयनित सी0एल0–1बी अनुज्ञापियों द्वारा जोन के समस्त जनपदों में अनिवार्य रुप से सी0एल0–1सी अनुज्ञापनों को प्राप्त किये जाने की

उपरान्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार के माध्यम से लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी से अनुमोदित कराया जायेगा।

5– उपरोक्तानुसार नवीनीकृत न हो सकी दुकानों को वर्ष 2012–13 के लिए निर्धारित एम.जी.क्यू. पर विज्ञापन देकर आवेदन मांग कर व्यवस्थित कराया जायेगा। यदि किसी दुकान हेतु एक ही आवेदन प्राप्त होता है, और नियमानुसार उचित पाया जाता है तो दुकान का आवंटन आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में दुकान का आवंटन नियमानुसार सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। इसी के साथ नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन भी निकायवार निर्धारित एम.जी.क्यू. पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मांगकर सार्वजनिक लाटरी से कराया जायेगा।

6– वर्ष 2011–12 में संचालित हो रही दुकानों के उपरोक्तनुसार भी व्यवस्थित न होने पर इनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2011–12 के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. पर आफर मांग कर कराया जायेगा। प्रतिबंध यह रहेगा कि वर्ष 2011–12 के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. से कम का आफर स्वीकार नहीं होगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

7– विशिष्ट मेरठ जोन के वर्ष 2011–12 के अनुज्ञापी को जोन की समस्त देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानें वर्ष 2012–13 हेतु उपरोक्तानुसार निर्धारित नवीनीकरण फीस, बेसिक लाइसेंस फीस, प्रतिभूति एवं एम.जी.क्यू. पर नवीनीकृत कराना एवं नवसृजित दुकानों के लिए निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति के आधार पर अनुज्ञापन प्राप्त करना होगा। किसी भी दुकान का व्यवस्थापन व नवीनीकरण न कराने की दशा में विशिष्ट मेरठ जोन ~~की~~ देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के अनुज्ञापी के रुप में किया गया उसका चयन निरस्तीकरण योग्य होगा, जिसके तारतम्य में उसको प्रदत्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के समस्त अनुज्ञापन निरस्तीकरण योग्य होंगे। इस प्रकार निरस्त/रिक्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमानुसार किया जायेगा।

(झ) देशी शराब की श्रेणियां, गुणवत्ता एवं मूल्य निर्धारणः–

वर्ष 2010–11 में देशी शराब की तीव्रता के आधार पर निम्नानुसार तीन श्रेणियां प्रचलित हैः–

1– 25 प्रतिशत वी/वी (सादा व मसाला)
2– 36 प्रतिशत वी/वी (मसाला)
3– 42.8 प्रतिशत वी/वी (मसाला)

मदिरा उपभोग के वर्तमान रुझान एवं राजस्व हित में वर्ष 2011–12 हेतु देशी शराब की तीव्रता की निम्नलिखित श्रेणियां निर्धारित की जाती हैः–

1– 28 प्रतिशत वी/वी (सादा/मसाला)
2– 36 प्रतिशत वी/वी (मसाला)

गत वर्ष की भांति आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 की स्वीकृति से, भिन्न–भिन्न रंगों के कैप्सूल व लेबुलों के बार्डर, निर्धारित प्रतिबंधों के साथ बनाये रखे जाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2010–11 की भांति वर्ष 2011–12 हेतु प्रदेश में केवल ई0एन0ए0 से निर्मित देशी मदिरा का विक्रय अनुमन्य किये जाने का भी निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2011–12 हेतु उपरोक्तानुसार प्रस्तावित देशी शराब की श्रेणियॉ 28 प्रतिशत वी/वी (सादा/मसाला) एवं 36 प्रतिशत वी/वी (मसाला) एवं भिन्न–भिन्न रंगों के कैप्सूल व लेबुलों के बार्डर के निर्धारित

आवंटन नियमानुसार सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा। इसी के साथ नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन भी निकायवार निर्धारित एम.जी.क्यू. पर विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मांग कर सार्वजनिक लाटरी से कराया जायेगा।

6– वर्ष 2010–11 में संचालित हो रही दुकानों के उपरोक्तनुसार भी व्यवस्थित न होने पर इनका व्यवस्थापन सार्वजनिक विज्ञापन देकर वर्ष 2010–11 के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. पर आफर मांग कर कराया जायेगा। प्रतिबंध यह रहेगा कि वर्ष 2010–11 के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. से कम का आफर स्वीकार नहीं होगा। दो या दो से अधिक समान आफर प्राप्त होने पर सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

(छ) विशिष्ट मेरठ जोन में देशी शराब की फुटकर बिकी की दुकानों का व्यवस्थापनः–

(1) विशिष्ट मेरठ जोन की देशी शराब की फुटकर बिकी की दुकानों का व्यवस्थापन प्रस्तर 4(1) व 4(2) (च) (i) के उप प्रस्तर–4 में वार्णित प्रकिया के अनुरुप एम.जी.क्यू. निर्धारित करके कराया जाना प्रस्तावित है।

(2) चयनित अनुज्ञापी द्वारा विशिष्ट मेरठ जोन की देशी शराब की फुटकर बिकी की वर्ष 2010–11 में संचालित समस्त दुकानों एवं नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस एवं निर्धारित प्रतिभूति के आधार पर कराना होगा। किसी भी दुकान का व्यवस्थापन न कराने की दशा में मेरठ जोन की देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिकी की दुकानों एवं माडल शाप्स के अनुज्ञापी के रुप में किया गया उसका चयन निरस्तीकरण योग्य होगा, जिसके तारतम्य में उसको प्रदत्त देशी शराब, विदेशी मदिरा,बीयर की फुटकर बिकी की दुकानों एवं माडल शाप्स के समस्त अनुज्ञापन निरस्तीकरण योग्य होंगे। इस प्रकार निरस्त/रिक्त अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन नियमानुसार किया जायेगा।

(ज) देशी शराब की दुकानों का वर्ष 2012–13 हेतु व्यवस्थापनः–

देशी शराब की फुटकर बिकी की वर्ष 2011–12 में संचालित दुकानों, का नवीनीकरण वर्ष 2012–13 में निम्न प्रतिबंधों के साथ कराया जायेगाः–

1– अंतिम व्ययगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2– वर्ष 2011–12 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3– वर्ष 2012–13 के लिए निर्धारित देयताओं की अदायगी के लिये अनुज्ञापी तत्पर हों।

4– वर्ष 2011–12 के जनपद के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. (जिसमें 1 अप्रैल के बाद व्यवस्थित दुकानों के एम.जी.क्यू. में व्ययगत अवधि के एम.जी.क्यू. के बराबर कम किये गये एम.जी.क्यू. को जोड़ते हुए वार्षिक एम.जी.क्यू. सम्मिलित होगा) में 6 प्रतिशत की वृद्धि कर वर्ष 2012–13 के लिए जनपद का एम.जी.क्यू. निर्धारित किया जायेगा। इस वृद्धि से जनित एम.जी.क्यू. को नवसृजित दुकानों पर नियमानुसार निर्धारित मात्रा में समायोजित करने के बाद यदि एम.जी.क्यू. अवशेष बचता है, तो उसको जनपद की पूर्व से संचालित हो रही दुकानों के एम.जी.क्यू. में समानुपातिक वृद्धि करते हुए समस्त दुकानों पर विभाजित किया जायेगा। यदि किसी जनपद में उपरोक्त वृद्धि से जनित एम.जी.क्यू. नवसृजित की जा रही दुकानों के लिए नियमानुसार निर्धारित हो रहे एम.जी.क्यू. से कम होगा, तो ऐसे जनपद का एम.जी.क्यू. नवसृजित दुकानों के एम.जी.क्यू. की सीमा तक बढ़ा कर निर्धारित किया जा सकेगा, भले ही जनपद के वर्ष 2011–12 के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. में 6 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी हो जाये। उपरोक्तानुसार वर्ष 2012–13 हेतु निर्धारित एम.जी.क्यू. को दुकानवार/ क्षेत्रवार, आबकारी निरीक्षकों द्वारा, दुकानवार/ क्षेत्रवार/जिलेवार जिला आबकारी अधिकारी द्वारा परीक्षण के

(ग) देशी शराब की बेसिक लाइसेंस फीसः–

देशी शराब की बेसिक लाइसेंस फीस वर्ष 2010–11 की भांति वर्ष 2011–12 में यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2012–13 हेतु बेसिक लाइसेंस फीस में रु0 1 प्रति लीटर की वृद्धि करते हुए रु0 22 प्रति लीटर निर्धारित किये जाने का भी निर्णय लिया गया है।

(घ) देशी शराब की लाइसेंस फीस (प्रतिफल फीस):–

वर्ष 2011–12 के लिए प्रतिफल फीस में रु0 27 प्रति बल्क लीटर की वृद्धि करते हुए रु0 157 प्रति बल्क लीटर रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2012–13 हेतु देशी शराब की प्रतिफल फीस में मात्र रु0 2 प्रति बल्क लीटर की वृद्धि करते हुए रु0 159 प्रति बल्क लीटर प्रतिफल फीस रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(च) आगरा, वाराणसी, लखनऊ तथा गोरखपुर जोन में देशी शराब की दुकानों का व्यवस्थापनः–

(i) देशी शराब की दुकानों का वर्ष 2011–12 हेतु व्यवस्थापनः–

देशी शराब की वर्ष 2010–11 में संचालित दुकानों, का नवीनीकरण एवं नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन वर्ष 2011–12 हेतु निम्न प्रतिबंधों के साथ किया जायेगाः–

1– अंतिम व्ययगत मास तक की समस्त देयताएं बेबाक हों।

2– वर्ष 2010–11 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हो।

3– वर्ष 2011–12 के लिए निर्धारित देयताओं की अदायगी के लिये अनुज्ञापी तत्पर हों।

4– वर्ष 2010–11 के जनपद के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. (जिसमें 1 अप्रैल के बाद व्यवस्थित दुकानों के एम.जी.क्यू. में व्ययगत अवधि के एम.जी.क्यू. के बराबर कम किये गये एम.जी.क्यू. को जोड़ते हुए वार्षिक एम.जी.क्यू. सम्मिलित होगा) में 01 प्रतिशत की वृद्धि कर वर्ष 2011–12 के लिए जनपद का एम.जी.क्यू. निर्धारित किया जायेगा। इस वृद्धि से जनित एम.जी.क्यू. को नवसृजित दुकानों पर नियमानुसार निर्धारित मात्रा में समायोजित करने के बाद यदि एम.जी.क्यू. अवशेष बचता है, तो उसको जनपद की पूर्व से संचालित हो रही दुकानों के एम.जी.क्यू. में समानुपातिक वृद्धि करते हुए समस्त दुकानों पर विभाजित किया जायेगा। यदि किसी जनपद में उपरोक्त वृद्धि से जनित एम.जी.क्यू., नवसृजित की जा रही दुकानों के लिए नियमानुसार निर्धारित हो रहे एम.जी.क्यू. से कम होगा, तो ऐसे जनपद का एम.जी.क्यू. नवसृजित दुकानों के एम.जी.क्यू. की सीमा तक बढ़ा कर निर्धारित किया जा सकेगा, भले ही जनपद के वर्ष 2010–11 के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. में 01 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोत्तरी हो जाय।

उपरोक्तानुसार वर्ष 2011–12 हेतु निर्धारित एम.जी.क्यू. को दुकानवार/क्षेत्रवार, आबकारी निरीक्षकों द्वारा, दुकानवार/क्षेत्रवार/जिलेवार, जिला आबकारी अधिकारी द्वारा परीक्षण के उपरान्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार के माध्यम से लाइसेंस प्राधिकारी/जिलाधिकारी से अनुमोदित कराया जायेगा।

5– उपरोक्तानुसार नवीनीकृत न हो सकी दुकानों को वर्ष 2011–12 के लिए निर्धारित एम.जी.क्यू. पर विज्ञापन देकर, आवेदन मांग कर व्यवस्थित कराया जायेगा। यदि किसी दुकान हेतु एक ही आवेदन प्राप्त होता है, और नियमानुसार उचित पाया जाता है तो दुकान का आवंटन आवेदक के पक्ष में कर दिया जायेगा। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने की स्थिति में दुकान का

आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 के पदनाम से निर्गत बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर के रुप में देय होगी, जो चयन न होने की दशा में वापसी योग्य होगी।

(ञ) आवेदन के साथ प्रोसेसिंग फीस के रुप में किसी शिडयूल्ड बैंक का रु0 10000/- (रु0 दस हजार) का आबकारी आयुक्त के पदनाम से निर्गत बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डर भी संलग्न करना होगा।

चयन प्रकिया :-

(क) आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा समुचित प्रचार-प्रसार कर एवं समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर आवेदन पत्र मांगे जायेंगे।

(ख) आबकारी आयुक्त, उ0प्र0 द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों का परीक्षण कर अर्ह आवेदकों का चिन्हांकन किया जायेगा।

(ग) एक से अधिक अर्ह आवेदक चिन्हित होने की दशा में सफल आवेदक का चयन लाटरी द्वारा किया जायेगा।

(घ) एकल अर्ह आवेदक होने की दशा में उसे अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु चयनित किया जायेगा।

4-(2) देशी शराब:-

(क) प्रोसेसिंग फीस एवं नवीनीकरण शुल्क:-

विभाग में आवेदन पत्र का कोई मूल्य नहीं लिया जाता है, किन्तु प्रोसेसिंग फीस प्रति आवेदन पत्र ली जाती है, जो राज्य द्वारा एकान्तिक विशेषाधिकार के हस्तान्तरण के बदले ली जाने वाली प्रतिफल फीस का अंश है। वर्ष 2010-11 में प्रोसेसिंग फीस रु0 3000/- प्रति आवेदन पत्र निर्धारित थी, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2011-12 के लिए रु0 5000/- प्रति आवेदन पत्र किये जाने का निर्णय लिया गया है। शासनादेश सं0 3174 ई-2/तेरह- 2010-141/2007 दिनांक 03 फरवरी, 2011 के अनुसार आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग फीस पर नियमानुसार वैट भी देय है। अतः वर्ष 2011-12 से उक्त प्रोसेसिंग फीस पर तत्समय निर्धारित दर पर वैट तथा नियमानुसार देय अन्य करों की वसूली भी अतिरिक्त रुप से की जाए।

देशी शराब की दुकानों का वर्ष 2010-11 में नवीनीकरण किया गया था। वर्ष 2011-12 व 2012-13 में नवीनीकरण शुल्क में वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है। वर्ष 2010-11 में तत्समय निकायवार लिया गया नवीनीकरण शुल्क तथा वर्ष 2011-12 व वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारित नवीनीकरण शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:-

कमांक	निकाय	वर्ष 2010-11 हेतु निर्धारित (रुपये में)	वर्ष 2011-12 हेतु प्रस्तावित दर (रुपये में)	वर्ष 2012-13 हेतु प्रस्तावित दर (रुपये में)
1	नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिए	25,000 प्रति दुकान	30,000 प्रति दुकान	35,000 प्रति दुकान
2	नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिए	20,000 प्रति दुकान	25,000 प्रति दुकान	30,000 प्रति दुकान
3	नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिए	15,000 प्रति दुकान	18,000 प्रति दुकान	21,000 प्रति दुकान
4	ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिए	10,000 प्रति दुकान	12,000 प्रति दुकान	14,000 प्रति दुकान

(ख) देशी शराब का एम.जी.क्यू.:-

वर्ष 2011-12 में देशी शराब की दुकानों के सुगम एवं समयान्तर्गत व्यवस्थापन हेतु वर्ष 2010-11 के व्यवस्थित एम.जी.क्यू 23.44 करोड़ ब0ली0 पर 01 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा वर्ष 2012-13 के व्यवस्थित एम0जी0क्यू0 में 6 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है।

निर्धारण के साथ ही वर्ष 2012–13 हेतु भी आबकारी नीति एवं तत्संबंधी देयताओं का निर्धारण भी राजस्व हित में कर लिये जाने का निर्णय लिया गया है।

4– वर्ष 2010–11 में विशिष्ट विस्तारित जोन मेरठ में देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के अनुज्ञापन शीर्ष सहकारी संस्था, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लि0 तथा संयुक्त उद्यमी भागीदार को दिये गये हैं। अब अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उक्त जोन में दुकानों एवं माडल शाप्स का व्यवस्थापन वर्ष 2011–12 हेतु उत्तर प्रदेश सरकार के नियंत्रणाधीन किसी शीर्ष सहकारी संस्था/निगम, किसी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, जो इस शासनादेश द्वारा निर्धारित अर्हतायें रखते हों, से आवेदन पत्र प्राप्त करके किया जायेगा।

4 (1) विशिष्ट/विस्तारित मेरठ जोन की फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन :–

विशिष्ट/विस्तारित मेरठ जोन की फुटकर बिक्री की दुकानों के आवेदकों के लिये निम्न अर्हताएं रखी जानी प्रस्तावित हैः–

(क) आवेदक 21 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति हो सकता है, जो भारत का नागरिक हो। ऐसे आवेदक को सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत मूल निवास–प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(ख) आवेदक रजिस्टर्ड भागीदारी फर्म या कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी हो सकती है। कन्सोशियम इसके लिये अर्ह नहीं होंगे। पंजीकृत कम्पनी की स्थिति में आर्टीकिल आफ एसोसियेशन, मेमोरेण्डम आफ एसोसियेशन एवं सर्टीफिकेट आफ इनकारपोरेशन तथा रजिस्टर्ड भागीदार कम्पनी की स्थिति में रजिस्टर्ड पार्टनरशिप डीड की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(ग) राज्य के नियंत्रणाधीन उत्तर प्रदेश राज्य की शीर्ष सहकारी संस्थाएं /निगम

(घ) इस अनुज्ञापन के अन्तर्गत किये जाने वाले व्यापार में निहित भारी राजस्व के दृष्टिगत आवेदक की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होना आवश्यक है। अतः ऐसे आवेदक का शराब के थोक/फुटकर बिक्री के व्यवसाय में वर्ष 2008–09, वर्ष 2009–10 व वर्ष 2010–11 में से किसी एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 400 करोड़ रु0 का वार्षिक टर्न ओवर हो। टर्न ओवर की गणना हेतु थोक/फुटकर देशी शराब/विदेशी मदिरा/बीयर की दुकानों एवं माडलशाप्स से मदिरा की बिक्री ही सम्मिलित होगी। इस टर्नओवर में मदिरा उत्पादन एवं इस उत्पादित मदिरा की बिक्री सम्मिलित नहीं होगी। टर्नओवर के प्रमाण के रुप में चार्टड एकाउन्टेन्ट एवं राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र के आबकारी अथवा वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(ङ) आवेदक अल्कोहल उत्पादक/मदिरा का निर्माता नहीं होना चाहिए।

(च) आवेदक का मदिरा के थोक/फुटकर बिक्री के व्यवसाय का अनुज्ञापी के रुप में अनुभव हो। अनुज्ञापी के रुप में अनुभव के साक्ष्य के प्रमाण स्वरुप राज्य सरकार/केन्द्र शासित क्षेत्र के आबकारी विभाग द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र एवं अनुज्ञापन की किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

(छ) आवेदक आबकारी राजस्व का बकायेदार न हो एवं आबकारी लाइसेंस धारण करने हेतु अन्यथा अनुपयुक्त न हो।

(ज) आवेदक को किसी अनुसूचित बैंक द्वारा न्यूनतम 100 करोड़ रु0 की वित्तीय क्षमता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(झ) आवेदक को विशिष्ट/विस्तारित मेरठ जोन की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ समस्त देशी शराब की दुकानों की बेसिक लाइसेंस फीस के 10 प्रतिशत तथा विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स की लाइसेंस फीस के 10 प्रतिशत के समतुल्य धरोहर धनराशि

संलग्नक-1

संख्या– 584 ई–2/तेरह–2011–10/11

प्रेषक,

नवल किशोर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग–2 लखनऊ:: दिनांक:: 12 मार्च, 2011

विषय:– वर्ष 2011–12 की आबकारी नीति के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–जी–184/दस–लाइसेंस/367/सुझाव–आबकारी नीति/2011–12, दिनांक 03 मार्च,2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त वर्ष 2011–12 के लिये आबकारी नीति के सम्बन्ध में जनहित में लिये गये निम्नलिखित निर्णयों को सूचित करने का मुझे निदेश हुआ है:–

1– वर्ष 2009–10 की आबकारी नीति में विशिष्टि मेरठ जोन में फुटकर बिक्री की दुकानों का संचालन उत्तर प्रदेश राज्य के नियंत्रणाधीन शीर्ष सहकारी संस्थाओं/निगम द्वारा कराये जाने का निर्णय लिया गया था तथा प्रदेश के अन्य तीन जोनों आगरा, वाराणसी तथा लखनऊ में फुटकर बिक्री की दुकानों का व्यवस्थापन पृथक–पृथक सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया गया था, जिन्हें वर्ष 2010–11 के लिये नवीनीकृत किया गया था। व्यापक राजस्व हित में उपरोक्त तीनों जोनों आगरा, लखनऊ, वाराणसी तथा नवसृजित जोन गोरखपुर जो वाराणसी जोन के ही तीन प्रभारों को सम्मिलित कर सृजित किया गया है, में स्थित देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों तथा माडल शाप्स का व्यवस्थापन वर्ष 2011–12 हेतु भी अनुज्ञापनों के नवीनीकरण के माध्यम से कराया जायेगा।

2– नवीनीकृत न हो पाने वाली दुकानों तथा नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन विज्ञापन के माध्यम से आवेदन पत्र मांगकर किया जायेगा। दो या दो से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर व्यवस्थापन सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से कराया जायेगा।

3– वित्तीय वर्ष 2011–12 की समाप्ति से पूर्व ही उत्तर प्रदेश विधान सभा सामान्य निर्वाचन की प्रकिया प्रारम्भ होना संभावित है, जिसके प्रारम्भ होते ही आचार संहिता प्रभावी हो जायेगी। वार्षिक आबकारी नीति के समयान्तर्गत निर्धारण एवं कियान्वयन पर भारी मात्रा में आबकारी राजस्व निहित हैं। अतः वर्ष 2012 के प्रारम्भिक माहों में उत्तर प्रदेश विधान सभा सामान्य निर्वाचन संभावित होने के कारण वर्ष 2011–12 की आबकारी नीति के

संख्या 18414-581 /दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2012–13/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उंपरोक्त संलग्नकों के साथ सूचनार्थ एवं निम्न निर्देशों के साथ अनुपालनार्थ प्रेषित :–

1. समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त, जोन्स, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि कृपया अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र में अपने कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आबकारी दुकानों के व्यस्थापन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय सीमा में इस पत्र में वर्णित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए पूरा करायें।

2. समस्त उप आबकारी आयुक्त, प्रभार एवं समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि वे कृपया अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र में अपने कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आबकारी दुकानों के व्यस्थापन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय सीमा में इस पत्र में वर्णित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए पूरा करायें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करा लें कि देशी शराब के एम0जी0क्यू0 व विदेशी मदिरा एवं बीयर के अनुज्ञापन फीस के आगणन नियमानुसार सही तरीके से हो जाये ताकि किसी प्रकार की राजस्व क्षति न होने पाये।

3. समस्त सहायक आबकारी आयुक्त (प्रवर्तन)/प्रभारी अधिकारी, आसवनियाँ/प्रभारी अधिकारी, बाण्ड धारक इकाइयाँ/सहायक आबकारी आयुक्त, स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स (एस0एस0एफ0), उ0प्र0 को संबधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी के माध्यम से सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ कि कृपया अपने से संबंधित बिन्दुओं पर प्रभावी एवं समयवद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

4. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि संलग्न शासनादेश में वर्णित व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय और इस हेतु यथावश्यक सुसंगत नियमावलियों में समय–सीमा के अन्तर्गत संशोधन सुनिश्चित करायें।

5. वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार विभागीय वेबसाइट पर अविलम्ब अपलोड कराना सुनिश्चित करें तथा आगामी वित्तीय वर्ष के लिये विभिन्न जनपदीय/प्रभार/जोन के संदर्भ में विभिन्न लक्ष्य निर्धारित करायें।

6. गार्ड फाइल, लाइसेंस अनुभाग।

(महेश कुमार गुप्ता)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

(iii)	**आवेदन पत्रों को जमा करने की अन्तिम तिथि**	**27.12.2011 को 17.00 बजे तक**
(iv)	आवदेन पत्रों का परीक्षण	**28.12.2011**
(v)	आफर के आधार पर अनुज्ञापी का चयन/सार्वजनिक लाटरी	**29.12.2011 को 11.00 बजे से**
(vi)	तृतीय चरण के पश्चात् यदि दुकानें व्यवस्थित होने से शेष रह जाती है तो जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी स्वविवेक से तिथि निर्धारित कर नियमानुसार व्यवस्थापन करायेंगे।	
(vii)	दैनिक आधार पर दिनांक 01–04–2012 से दुकानों के व्यवस्थापन की कार्यवाही	**31.03.2012**

c) भांग की फुटकर दुकानों की नीलामी हेतु समय सारिणीः–

कमांक	**विवरण**	**तिथि**
1.	प्रदेश की समस्त भांग की फुटकर दुकानों की नीलामी	**15.12.2011**
2.	प्रथम नीलामी के बाद यदि दुकानें व्यवस्थित होने से शेष रह जाती है तो जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी स्वविवेक से तिथि निर्धारित कर नियमानुसार व्यवस्थापन करायेंगे	

नोटः– यदि किसी कारणवश उपरोक्त किसी निर्धारित तिथि को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया जाता है, तो उसके बावजूद संबंधित तिथि के लिये निर्धारित कार्य यथावत सम्पादित किये जायेंगे।

आशा है कि आपके कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही पूर्ण निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ निर्धारित समय सीमा में उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करते हुए सम्पन्न होगी व प्रदेश के आबकारी राजस्व में आशातीत वृद्धि हो सकेगी।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

भवन्निष्ठ,

(महेश कुमार गुप्ता)

(नाम से)
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्या 18394–413 **/दस–लाइसेंस–367/सुझाव आबकारी नीति/2012–13/तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्त संलग्नकों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(महेश कुमार गुप्ता)
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश ।

(iii)	एकान्तिक विशेषाधिकार का नवीनीकरण	**08.12.2011 को 17.00 बजे तक**
(iv)	जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा वर्तमान दुकानों के नवीनीकरण तथा नवसृजित दुकानों के लाइसेंस स्वीकृति की अंतिम तिथि	**12.12.2011 को 17.00 बजे तक**

b) विशिष्ट मेरठ जोन के अलावा शेष आगरा, वाराणसी, गोरखपुर एवं लखनऊ जोन (बरेली प्रभार को छोड़कर) फुटकर बिकी की दुकानों के व्यवस्थापन की समय सारिणी :-

कमांक	**प्रथम चरण**	तिथि
1	(i)वर्ष 2012-13 हेतु आबकारी नीति में दिये गये निर्देशानुसार वार्षिक व्यवस्थित व तद आधारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस/प्रतिभूति धनराशि में वृद्धि कर देशी शराब की दुकानों की प्रास्थिति, वार्षिक व्यवस्थित (तद आधारित) न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (निर्धारित वृद्धि के साथ) बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, नवीनीकरण फीस व प्रतिभूति धनराशि का विवरण तैयार किया जाना। (ii) उपरोक्तानुसार ही विदेशी मदिरा तथा बीयर की दुकानों व माडल शाप्स की लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि एवं नवीनीकरण फीस का विवरण तैयार किया जाना। (iii) उपरोक्त समस्त दुकानों के नवीनीकरण हेतु **आवेदन पत्रों का वितरण दिनांक 03.12.2011 से दिनांक 12.12.2011 को अपरान्ह 13.00 बजे तक** करने के संबंध में एवं भांग की फुटकर दुकानों की नीलामी हेतु समाचार पत्र में विज्ञप्ति का प्रकाशन	**01.12.2011**
	(iv) **नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि**	**12.12.2011 को 16.00 बजे तक**
	द्वितीय चरण	
2(i)	उपरोक्तानुसार नवीनीकरण के पश्चात अवशेष देशी /विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स तथा देशी शराब/विदेशी मदिरा, बीयर की नवसृजित दुकानों एवं नवसृजित माडल शाप्स के लिए वर्ष 2012-13 हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा/ निर्धारित लाइसेंस फीस पर व्यवस्थापन सार्वजनिक लाटरी प्रकिया से आवेदन पत्र मांग कर किया जायेगा। ऐसी दुकानों के संबंध में देशी शराब के प्रकरण में न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, तद आधारित बेसिक लाइसेंस फीस एवं लाइसेंस फीस तथा धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि तथा विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स के संबंध में लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि को अंकित करते हुए आवेदन पत्र मांगने एवं लाटरी हेतु **आवेदन पत्रों का वितरण दिनांक 13.12.2011 से प्रारम्भ कर दिनांक 19-12-11 को अपरान्ह 14.00 बजे तक** करने एवं उसी दिन सायं 17.00 बजे तक जमा करने हेतु समाचार पत्रों में विज्ञप्ति का प्रकाशन।	**12.12.2011**
(ii)	आवेदन पत्रों का वितरण	**13.12.2011 से 19.12.2011 को 14.00 बजे तक**
(iii)	**आवेदन पत्रों को जमा करने की अन्तिम तिथि**	**19.12.2011 को 17.00 बजे तक**
(iv)	आवेदन पत्रों का परीक्षण	**20.12.2011 से 21.12.2011 तक**
(v)	सार्वजनिक लाटरी	**22.12.2011 को 11.00 बजे से**
	तृतीय चरण	
3(i)	उक्त प्रक्रिया के पश्चात अवशेष रही देशी शराब की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु वर्ष 2011-12 के वार्षिक व्यवस्थित एम.जी.क्यू. पर आधारित बेसिक लाइसेंस फीस व लाइसेंस फीस तथा विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स की वर्ष 2011-12 की लाइसेंस फीस पर आफर मांगकर व्यवस्थापन हेतु विज्ञप्ति	**22.12.2011**
(ii)	आवेदन पत्रों का वितरण।	**23.12.2011 से 27.12.2011 को 14.00 बजे तक**

पत्र में स्पष्ट रूप से सूचित कर दिया जाये कि यदि लाटरी में सफल आवेदक द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर अपेक्षित धनराशि जमा नहीं की जाती तो उसकी दुकान का आवंटन निरस्त कर दिया जायेगा तथा धरोहर धनराशि राज्य के पक्ष में राज्यसात कर ली जायेगी।

q) सार्वजनिक लाटरी की कार्यवाही में पूर्ण निष्पक्षता व पारदर्शिता बरती जाये।

r) विज्ञापन एवं सार्वजनिक लाटरी की समस्त व्यवस्थाओं में पूर्ण मितव्ययिता बरती जाये।

s) दुकानों के आवेदन पत्रों पर किसी भी दशा में करेक्टिंग फ्लूड का प्रयोग न किया जाय। यदि किसी संख्या/शब्द को परिवर्तित करना अपरिहार्य हो तो एक लाइन से काटकर परिवर्तित किया जाये तथा आवेदन कर्ता द्वारा कटिंग को प्रमाणित किया जाय। करेक्टिंग फ्लूड लगे आवेदन पत्रों पर आवंटन हेतु विचार न किया जाये।

t) विदेशी मदिरा के उपभोग आगणन के सम्बन्ध में योजित पुनरीक्षण याचिका संख्या 30/2005 विवेक चौहान बनाम आबकारी आयुक्त व अन्य में शासन के निर्णय के अनुसार 4 पौवे जिसमें मात्र 720 एम0 एल0 होते हैं, को 750 एम0एल0 की बोतल न माना जाये अपितु 750 एम0एल0 होने पर ही एक बोतल की गणना अनुज्ञापन शुल्क के लिए उपभोग आगणित करने में की जाये। एम0डी0ओ0 में भी तदनुसार सूचना भेजा जाना सुनिश्चित किया जाये।

u) देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की व्यवस्थापन की प्राख्यापित नियमावलियों में निहित प्राविधानानुसार समय से जी–12 ग व छः 12(क) विवरण पत्र भेजना सुनिश्चित किया जाये।

v) वर्ष 2011–12 के अवशेष लाटरी फार्मो का प्रयोग यथावश्यक संशोधनों के साथ वर्ष 2012–13 हेतु भी किया जायेगा।

w) वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु लाइसेंस फीस एवं सिक्योरिटी आदि के रूप में प्राप्त होने वाली धनराशि समय से जमा करायी जाय तथा उसका सत्यापन जनपद के कोषागार से सामयिक रूप से कराया जाय।

10. **धरोहर धनराशि की वापसी :–**

मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिका सं0 1374(टैक्स)/2006 राम नाथ मिश्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों एवं माडल शाप्स के सार्वजनिक लाटरी से व्यवस्थापन के लिए प्राप्त धरोहर धनराशि के ड्राफ्ट/पे आर्डरों की वापसी हेतु इस कार्यालय के पत्र सं0 36190–36260/दस–लाइसेंस–367/खण्ड–2/ आबकारी नीति/2008–09 दिनांक 15–12–07 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये है। साथ ही बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डरों की वापसी हेतु प्रारुप पत्र निर्धारित करके प्रेषित किया गया हैं। उक्त पत्र द्वारा जारी प्रारुप पत्र के अनुसार ही बैंक ड्राफ्ट/पे आर्डरों की वापसी सुनिश्चित करायी जाय।

11. **समय सारिणी :–**

a) **विशिष्ट मेरठ जोन (बरेली प्रभार सहित) में देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिकी की दुकानों एवं माडल शाप्स के व्यवस्थापन हेतु समय सारिणी:–**

कमांक	विवरण	तिथि
1(i)	वर्ष 2012–13 हेतु आबकारी नीति में दिये गये निर्देशानुसार देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिकी की दुकानों व माडल शाप्स (नवसृजित दुकानों सहित) की बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस, प्रतिभूति धनराशि, धरोहर धनराशि एवं नवीनीकरण शुल्क का विवरण तैयार किया जाना।	**01.12.2011**
(ii)	अनुज्ञापी द्वारा आबकारी आयुक्त के समक्ष फुटकर बिकी की दुकानों (नवसृजित दुकानों सहित) के संचालन संबंधी एकान्तिक विशेषाधिकार के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि	**08.12.2011 को 15.00 बजे तक**

सभागार/पण्डाल में कुछ ऊँचाई पर मंच बनाकर इस प्रकार सम्पादित की जाये कि सभागार/पण्डाल में उपस्थित सभी व्यक्ति, लाटरी की कार्यवाही को भली भाँति देख सकें।

h) सार्वजनिक लाटरी निकाले जाने की कार्यवाही कलेक्ट्रेट सभागार अथवा समुचित क्षमता के किसी अन्य सभागार में की जा सकती है। यदि उपयुक्त क्षमता का कोई सभागार अथवा उचित स्थान उपलब्ध न हो तो विशिष्ट परिस्थितियों में पण्डाल लगाकर यह कार्य किया जाये।

i) सार्वजनिक लाटरी से पूर्व दुकानों के व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमों व निर्देशों को पढ़कर सार्वजनिक रूप से सुनाया जाये व सभी आवेदकों को मदिरा की दुकानों के संचालन सम्बन्धी महत्वपूर्ण बिन्दुओं से अवगत करा दिया जाये।

j) मदिरा की दुकानों के व्यवस्थान हेतु सार्वजनिक लाटरी सम्बन्धी समस्त कार्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित लाइसेंसिंग समिति द्वारा किया जायेगा जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी आयुक्त द्वारा नामित एक अन्य अधिकारी सदस्य होंगे। सार्वजनिक लाटरी की समस्त कार्यवाही इस समिति के सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थिति व देख–रेख में की जायेगी। जिलाधिकारी इस कार्य में समिति के सहायतार्थ अपने विवेकानुसार उप जिलाधिकारियों अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारियों को लगा सकते हैं।

k) सार्वजनिक लाटरी के स्थल पर समस्त आवेदकों को प्रवेश की अनुमति प्रदान की जाये व इस बात का पूर्ण प्रयास किये जाये कि लाटरी निकाले जाने सम्बन्धी कार्यवाही उस दुकान हेतु आवेदन करने वाले समस्त आवेदकों की उपस्थिति में ही सम्पन्न हो, ताकि आवेदकों व जन सामान्य का लाटरी प्रकिया की निष्पक्षता व पारदर्शिता के सम्बन्ध में पूर्ण विश्वास रहे व किसी प्रकार की अनियमितता न हो सके।

l) जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का लाटरी की पर्ची वाला भाग, जिस पर आवेदक का नाम व पता अंकित होगा एवं दुकान का नाम भी अंकित होगा, को लाटरी निकालने में प्रयोग किया जायेगा। इस प्रकार लाटरी के लिए प्रयोग में लायी जाने वाली पर्चियॉ उतनी ही होंगी जितने प्रार्थना पत्र उस दुकान के लिए प्राप्त हुए हैं।

m) जिस दुकान हेतु लाटरी निकाली जानी है, उसके लिये प्राप्त सभी आवेदन पत्रों की तैयार की गयी सूची से पंजीयन संख्या के अनुसार दुकान के लिए प्राप्त कुल आवेदन–पत्रों की लाटरी हेतु पर्चियों को अलग करके आवेदकों के नाम व उनकी पंजीयन संख्या को उच्चारित करते हुए उन्हें कमशः विधिवत मोड़कर सार्वजनिक रूप से दिखाकर लाटरी के लिए निर्धारित किये गये पारदर्शी पात्र में इस प्रकार डाल दिया जायेगा, कि आवेदक आश्वस्त हो सकें कि सभी आवेदकों की पर्चियॉ पात्र में पड़ गयी हैं। पात्र में पर्चियॉ डाले जाने से पूर्व उक्त पात्र को उल्टा करके सभी व्यक्तियों को दिखाया जायेगा ताकि वे आश्वस्त हो सकें कि पात्र में पहले से कोई पर्ची नहीं पड़ी है। यह पात्र मंच पर इस प्रकार रखा जायेगा कि सभागार/पण्डाल में उपस्थित सभी व्यक्ति, विशेषकर उस दुकान के आवेदक भली–भॉति देख सकें।

n) जिलाधिकारी सभी आवेदकों की पर्चियों को पात्र में डालकर उसे पहले भली प्रकार मिला लेंगे तत्पश्चात् किसी व्यक्ति से एक पर्ची निकलवा लेंगे। जिस पंजीयन संख्या की पर्ची निकलेगी, उसे सार्वजनिक रूप से दिखाये जाने के पश्चात् उसी पंजीयन संख्या के आवेदनकर्ता के नाम दुकान आवंटित की जायेगी। एक ही व्यक्ति से बार–बार लाटरी की पर्चियां न निकलवायी जाय।

o) लाटरी में चयनित व्यक्ति की लाटरी की पर्ची पर समिति के सदस्यों व पर्यवेक्षक (यदि कोई हो) के हस्ताक्षर के उपरान्त जी–14 पंजिका में दुकान का नाम अंकित कर उसके सामने उस लाटरी की पर्ची को चस्पा कर दिया जाये व पंजिका पर चयनित व्यक्ति के हस्ताक्षर भी कराये जायें।

p) जिस व्यक्ति को दुकान आवंटित की जाय, उसको मौके पर ही इस आशय का एक पत्र भी निर्गत किया जाये, कि अमुक दुकान की लाटरी उसके नाम से निकली है। साथ ही लाइसेंस फीस, बेसिक लाइसेंस फीस व प्रतिभूति धनराशि जमा करने के लिए उसे निर्देशित कर दिया जाय। पत्र में सफल आवेदक को दस दिन के अन्दर दुकान की चौहद्दी व अन्य विवरण भी प्रस्तुत करने के लिए लिखित रूप से निर्देशित कर दिया जाय।

ही उस आवेदन पत्र का उपयोग कर सके। आवेदन पत्र के प्रतिपर्ण एवं आवेदन पत्र के मध्य परफोरेशन बिन्दुओं पर दाहिनी ओर बने ब्लाक में जिला आबकारी अधिकारी अथवा आवेदन पत्र निर्गत करने हेतु अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इस प्रकार मुहर लगाकर हस्ताक्षर किये जायेंगे, जिससे मुहर व हस्ताक्षर प्रतिपर्ण एवं आवेदन पत्र दोनों पर आंशिक रूप से आ जाये।

b) आवेदन पत्र निर्गत करने के साथ ही निर्गतकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदक को देशी शराब की दुकानों हेतु दुकानवार न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, बेसिक लाइसेंस फीस, लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि का दुकानवार पूर्ण विवरण भी उपलब्ध कराया जाये। विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकानों तथा माडल शाप्स हेतु लाइसेंस फीस, धरोहर धनराशि व प्रतिभूति धनराशि का दुकानवार पूर्ण विवरण भी उपलब्ध कराया जाये। उपरोक्तानुसार सूचनाओं सहित जनपद की समस्त दुकानों के विवरण के पैम्फलेट/हैण्डबिल व शपथ–पत्र के प्रारूप पहले से ही तैयार करके रख लिये जायें तथा आवेदन पत्रों के वितरण के समय ही आवेदकों को आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराये जायें।

c) आवेदन पत्र जमा किये जाते समय जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आवेदन पत्रों को प्राप्त करने के लिए अधिकृत कर्मचारी द्वारा पहले आवेदन पत्रों की जॉच कर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरे गये हैं एवं उसके साथ आवश्यक संलग्नक (ड्राफ्ट शपथ–पत्र, पहचान हेतु प्रमाण आदि)लगे हुए हैं। अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। आवेदन पत्र की जॉच के पश्चात् सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा इसका अंकन कमवार आवेदन पत्र प्राप्ति रजिस्टर में किया जायेगा और प्राप्ति रजिस्टर का कमांक आवेदन पत्र एवं प्राप्ति रसीद पर अंकित किया जायेगा। तत्पश्चात् आवेदन पत्र की प्राप्ति रसीद पर दिनांक सहित हस्ताक्षर करके कार्यालय की मुहर लगायी जायेगी एवं उसे आवेदन पत्र से फाड़कर आवेदन पत्र जमाकर्ता को रसीद स्वरूप दे दिया जायेगा। यह प्राप्ति रसीद ही लाटरी के आयोजन स्थल पर प्रवेश हेतु गेट पास के रूप में प्रयुक्त की जा सकेगी व आवेदकों द्वारा यह प्राप्ति रसीद दिखाकर लाटरी आयोजन स्थल में प्रवेश किया जा सकेगा।

d) आवेदनकर्ता किसी दुकान के लिए अपने आवेदन पत्र के साथ निवास प्रमाण पत्र या पते के सत्यापन हेतु (1) पासपोर्ट (2) ड्राइविंग लाइसेंस (3) आयकर पहचान पत्र (4) बैंक/किसान/डाकघर पासबुक (5) सम्पत्ति दस्तावेज जैसे पट्टा रजिस्ट्रीकृत विलेख आदि (6) सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी अ0जा0/अ0ज0जा0/अति पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र (7)पेंशन दस्तावेज जैसे भूतपूर्व सैनिक पेंशनबुक/पेंशन अदायगी आदेश/भूतपूर्व सैनिक विधवा आश्रित प्रमाण पत्र/वृद्वावस्था पेंशन आदेश/विधवा पेंशन आदेश। (8) रेलवे पहचान पत्र (9) स्वतंत्रता सेनानी पहचान पत्र (10) शस्त्र लाइसेंस (11) शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र। (12) मतदाता पहचान पत्र में से किसी एक प्रमाण पत्र की प्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करेगा।

e) जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों को दुकानवार छॉटकर उनकी अलग–अलग सूची तैयार की जायेगी व उन्हें दुकानवार तैयार की गयी पत्रावली में अनुरक्षित किया जायेगा। उचित होगा कि प्रत्येक दुकान के लिए अलग–अलग फाइल कवर बना लिये जायें व उस दुकान हेतु प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को भी उन्हीं फाइलों में संरक्षित किया जाये।

f) जिन दुकानों हेतु केवल एक आवेदन पत्र ही प्राप्त होता है, उन्हें आवेदक के पक्ष में व्यवस्थित किये जाने हेतु जिला लाइसेंसिंग समिति द्वारा अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

g) जिन दुकानों हेतु एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हों, उनके लिए सार्वजनिक लाटरी निर्धारित तिथि को निकाली जायेगी। लाटरी हेतु जिस विशिष्ट दुकान को लिया जाये उसके लिए प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को सूची के अनुसार अंकित कमांक, नाम व अन्य विवरण सहित लाटरी हाल के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाये और उनका संक्षिप्त विवरण यथा दुकान का नाम, न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस व प्राप्त आवेदन पत्रों की कुल संख्या आदि सार्वजनिक रूप से माइक पर उद्घोषित की जाय तथा उक्त दुकान के आवेदकों को सभा कक्ष में आगे आने का अवसर दिया जाये ताकि वे लाटरी सम्बन्धी समस्त कार्यवाही को भली–भॉति देख सकें व लाटरी की कार्यवाही में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे। लाटरी निकाले जाने सम्बन्धी कार्यवाही

4. **भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन :–**

1. भांग की फुटकर बिकी की दुकानों का व्यवस्थापन वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु उत्तर प्रदेश आबकारी लाइसेंस (टेण्डर एवं नीलामी) नियमावली, 1991 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।
2. भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन उपरोक्तानुसार जनपद स्तर पर किया जायेगा।

5. **विभिन्न अनुज्ञापनों पर अवशेष स्टाक का निस्तारण :–**

वित्तीय वर्ष 2011–12 की समाप्ति पर जनपदों के विभिन्न अनुज्ञापनों पर दिनांक 31–03–2012 को बिकी अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञापी द्वारा अवशेष स्टाक की ब्राण्ड वार घोषणा जिला आबकारी अधिकारी के समक्ष दिनांक 01–04–2012 को दोपहर 12.00 बजे तक की जायेगी तथा इस अवशेष स्टाक की सूचना जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दिनांक 05–04–2012 तक आयुक्तालय को उपलब्ध करायी जायेगी। अवशेष स्टाक के निस्तारण के संबंध में आदेश पृथक से प्रसारित किये जायेंगे। वर्ष 2011–12 की अवशेष देशी मदिरा की बिकी वर्ष 2012–13 में किसी भी दशा में नहीं की जायेगी।

6. **देशी/विदेशी मदिरा/बीयर/भांग की नयी फुटकर दुकानों तथा नयी माडल शाप का सृजन :–**

वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिये देशी/विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की फुटकर दुकानों तथा माडल शाप्स के नवसृजन का विवरण **संलग्नक–4** पर है।

7. **भांग की फुटकर दुकानों के लिये जनपदवार निर्धारित भांग की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा :–**

वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु प्रदेश के विभिन्न जनपदों की भांग की फुटकर दुकानों के लिये जनपदवार निर्धारित भांग की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का विवरण **संलग्नक–5** पर है।

8. **ताड़ी की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन एवं अभिकर :–**

वित्तीय वर्ष 2012–13 में ताड़ी की अनुज्ञापनों की "ट्री–टैक्स/सरचार्ज प्रणाली व्यवस्था" वित्तीय वर्ष 2011–12 की भॉति यथावत रहेगी।

9. **देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की दुकानों के व्यवस्थापन हेतु आवेदन पत्रों का वितरण एवं सार्वजनिक लाटरी निकाले जाने की प्रकिया :–**

वाराणसी, आगरा, गोरखपुर एवं लखनऊ जोन (बरेली प्रभार को छोड़कर) की वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु नवीनीकरण से अवशेष तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु नवसृजित दुकानों के लिए देशी शराब, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर बिकी की दुकानों एवं माडल शाप्स का व्यवस्थापन आवेदन पत्र प्राप्त कर सार्वजनिक लाटरी प्रणाली द्वारा किया जायेगा। किसी दुकान के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में दुकानों के व्यवस्थापन हेतु सार्वजनिक लाटरी प्रकिया के सम्बन्ध में निर्देश निम्न प्रकार है :–

a) दुकानों के व्यवस्थापन हेतु देशी शराब, विदेशी मदिरा एवं बीयर की दुकानों एवं माडल शाप्स के आवेदकों के लिए आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित एवं निर्गत आवेदन पत्र आवेदकों को जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय, उप आबकारी आयुक्त प्रभार कार्यालय, संयुक्त आबकारी आयुक्त जोन कार्यालय एवं आबकारी आयुक्त कार्यालय से रु0 6000/– (माडल शाप के लिए रु0 7000/–) प्रोसेसिंग फीस के रूप में नकद धनराशि के भुगतान पर उपलब्ध हो सकेंगे। इस धनराशि पर समय–समय पर देय वैट एवं अन्य कर भी अतिरिक्त रुप से वसूल किया जायेगा, जिसे संबंधित जिला आबकारी अधिकारी, वाणिज्य कर विभाग के संबंधित लेखाशीर्षक में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। वर्ष 2012–13 में आवदेन पत्र आबकारी आयुक्त कार्यालय में भी जमा हो सकेंगे। आबकारी आयुक्त, कार्यालय में ऐसे आवेदन पत्रों को जमा होने की अन्तिम तिथि से एक दिन पूर्व तक ही जमा किया जा सकेगा। ऐसे आवेदन पत्रों को सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध करा दिया जायेगा। विभाग द्वारा नियमानुसार निर्गत आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे। आवेदन पत्र का उपयोग करने वाले व्यक्ति का नाम व पता आवेदन पत्र पर तथा आवेदन पत्र के काउन्टर फाइल पर अंकित किया जायेगा, जिससे आवेदन पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति

9) वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए निकाय वार नवसृजित देशी शराब की फुटकर बिकी की दुकान की बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस के निर्धारण हेतु न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (एम0जी0क्यू0) एवं नवसृजित विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर बिकी की दुकान की न्यूनतम लाइसेंस फीस निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :–

निकाय	वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (36 प्रतिशत वी/वी) बल्क लीटर में	वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए निर्धारित विदेशी मदिरा दुकानों की न्यूनतम लाइसेंस फीस (रु0 में)	वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए निर्धारित बीयर दुकानों की न्यूनतम लाइसेंस फीस (रु0 में)
नगर निगम व इसकी सीमा से 03 कि0मी0 की परिधि तक	17000	6,40,000	1,60,000
नगर पालिका व इसकी सीमा से 02 कि0मी0 की परिधि तक	12000	2,15,000	80,000
नगर पंचायत व इसकी सीमा से 01 कि0मी0 की परिधि तक	7000	1,00,000	40,000
ग्रामीण	3500	50,000	38,000

10) वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए माडल शाप्स की लाइसेंस फीस निम्नानुसार निधारित की गयी है :–

निकाय	लाइसेंस फीस (रू0 में)	प्रतिभूति धनराशि (रू0 में)
1. नगर निगमों एवं नोएडा के लिये (ग्रेटर नोएडा एवं झांसी को छोड़कर)	25 लाख रूपये वर्ष या वर्ष के भाग के लिये	2.00 लाख
2. अन्य नगरों के लिये (ग्रेटर नोएडा एवं झांसी सहित)	9 लाख रूपये या ऐसे नगर की विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर दुकानों की सर्वोच्च लाइसेंस फीस को मिलाकर प्राप्त धनराशि के समतुल्य लाइसेंस फीस, जो अधिक हो, वर्ष या वर्ष के भाग के लिये, परन्तु यह फीस 25 लाख रूपये से अधिक नहीं होगी ।	1.00 लाख

11) उपरोक्त प्रस्तर 3.4 व 3.5 के अनुसार माह फरवरी–2012 तक के विदेशी मदिरा/बीयर के उपभोग के आधार पर अनुमानित वार्षिक उपभोग का आगणन करने पर यदि विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर बिकी की दुकान की लाइसेंस फीस में वृद्धि होती है, तो इस वृद्धि के आधार पर उस निकाय की माडल शाप की लाइसेंस फीस माह मार्च 2012 में पुनः निर्धारित की जायेगी और लाइसेंस फीस की उक्त वृद्धि की धनराशि भी माडल शाप के अनुज्ञापी से 15 मार्च तक जमा करायी जायेगी।

12) उपरोक्त के अतिरिक्त माडल शाप्स पर मदिरापान की सुविधा अनुमन्य करने की फीस रु0 100000 वर्ष या वर्ष के भाग के लिये निर्धारित है।

पर वार्षिक अनुमानित उपभोग की गणना की जायेगी। दुकान के इस अनुमानित वार्षिक उपभोग को निर्धारित किए गए प्रति बोतल (650 मि0ली0) के अधिभार रु0 7 से गुणा करके दुकान की वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी जो नियमानुसार देय होगी किन्तु किसी बीयर की दुकान की लाइसेंस फीस उसकी वित्तीय वर्ष 2011–12 की लाइसेंस फीस से कम नहीं होगी। माह मार्च 2012 में माह फरवरी, 2012 तक के उपभोग के आधार पर उक्त दुकान के अनुमानित वार्षिक उपभोग का आगणन करके दुकान की वार्षिक लाइसेंस फीस की पुनः गणना की जायेगी। इस प्रकार लाइसेंस फीस के अन्तर की धनराशि 15 मार्च तक जमा करायी जायेगी। लाइसेंस फीस की 1/10 भाग के बराबर (न्यूनतम रु0 5000) धरोहर धनराशि आवेदन के समय एवं निर्धारित प्रतिभूति धनराशि (न्यूनतम रु0 5000) नवीनीकरण/ चयन के बाद नियमानुसार जमा करनी होगी।

6) **लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान–**

(क) नवीनीकरण के माध्यम से व्यवस्थित दुकानों के संबंध में :– देशी शराब, विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों तथा माडल शाप्स के माह मार्च से पूर्व नवीनीकरण के माध्यम से व्यवस्थित होने वाली दुकान का अनुज्ञापी लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस की आधी धनराशि आवेदन करने के समय जमा करेगा तथा प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग नवीनीकरण के पश्चात् 10 कार्य दिवसों के भीतर जमा करेगा। ऐसा अनुज्ञापी अवशेष लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस तथा प्रतिभूति धनराशि चलित आबकारी वर्ष के 15 मार्च तक जमा करेगा।

(ख) लाटरी/आफर के माध्यम से व्यवस्थित दुकानों के संबंध में :– यदि किसी आवेदक को देशी शराब, विदेशी मदिरा व बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों तथा माडल शाप्स के लाइसेंसधारी के रूप में चयनित किया जाता है, तो अपने चयन की सूचना की प्राप्ति के तीन कार्य दिवसों के भीतर लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस की सम्पूर्ण धनराशि जमा करेगा। उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह प्रतिभूति धनराशि का आधा भाग अपने चयन होने की सूचना के 10 कार्य दिवसों के भीतर और अवशेष प्रतिभूति धनराशि अपने चयन होने की सूचना के 20 कार्य दिवसों के भीतर जमा कर दें।

(ग) लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान समय से न करने पर कार्यवाही :– लाटरी द्वारा अथवा नवीनीकरण द्वारा लाइसेंसधारी के रुप में चयनित आवेदक/अनुज्ञापी यदि उपरोक्तानुसार विहित अवधि में लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस या प्रतिभूति धनराशि जमा करने में विफल रहता है तो उसका चयन/नवीनीकरण निरस्त हो जायेगा और उसकी धरोहर धनराशि तथा लाइसेंस फीस/बेसिक लाइसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि यदि उसके द्वारा जमा की गई हो, राज्य सरकार के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी और उक्त दुकान को तत्काल पुनर्व्यवस्थापित कर दिया जायेगा।

7) वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों के आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग फीस 6,000 रू0 प्रति आवेदन पत्र एवं माडल शाप्स के लिए प्रोसेसिंग फीस प्रति आवेदन रू0 7,000/– निर्धारित की गयी है। इस प्रोसेसिंग फीस पर नियमानुसार वैट व अन्य कर भी अतिरिक्त रुप से देय होंगे।

8) देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स के लिये वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु नवीनीकरण फीस की दर प्रति दुकान रुपये में निम्नवत निर्धारित की गई है:–

क सं0	निकाय	देशी मदिरा	विदेशी मदिरा	बीयर	माडल शाप
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	**नगर निगम क्षेत्र की दुकानों के लिये**	**35,000**	**45,000**	**45,000**	**40,000**
2	**नगर पालिका क्षेत्र की दुकानों के लिये**	**30,000**	**35,000**	**35,000**	**30,000**
3	**नगर पंचायत क्षेत्र की दुकानों के लिये**	**21,000**	**22,500**	**22,000**	**20,000**
4	**ग्रामीण क्षेत्र की दुकानों के लिये**	**14,000**	**12,000**	**11,000**	**10,000**

वृद्धि आबकारी आयुक्त के स्तर से की जा सकती है। इससे अधिक की वृद्धि की आवश्यकता होने पर शासन की अनुमति से दुकानों का सृजन किया जायेगा।

3. **देशी/विदेशी मदिरा, बीयर की फुटकर दुकानों तथा माडल शाप का व्यवस्थापन** :-

1) वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु विशिष्ट मेरठ जोन (बरेली प्रभार सहित) के जनपदों की वर्तमान समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स का व्यवस्थापन **"नवीनीकरण"** के माध्यम से किया जायेगा तथा वर्ष 2011–12 के अनुज्ञापी को वर्ष 2012–13 हेतु नवसृजित दुकानों के लिये निर्धारित बेसिक लाइसेंस फीस/लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति के आधार पर अनुज्ञापन प्राप्त करना होगा। इस हेतु एकान्तिक विशेषाधिकार के नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र आयुक्तालय में प्रस्तुत किये जायेंगे।

2) वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु विशिष्ट मेरठ जोन के अलावा शेष आगरा, वाराणसी, गोरखपुर एवं लखनऊ (बरेली प्रभार को छोड़कर) जोन के जनपदों की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा तथा बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों एवं माडल शाप्स का व्यवस्थापन भी **"नवीनीकरण"** के माध्यम से किया जायेगा। इस हेतु आवेदन पत्र जनपद स्तर पर जिला आबकारी अधिकारी, कार्यालय में प्रस्तुत किये जायेंगे। जिन दुकानों का नवीनीकरण नहीं हो पायेगा उनका तथा नवसृजित दुकानों का व्यवस्थापन सार्वजनिक लाटरी के माध्यम से किया जायेगा।

3) देशी शराब की फुटकर बिक्री की दुकानों के वर्तमान एम0जी0क्यू0 (36% v/v) में वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिये 6% की वृद्धि की गई है। इस निर्धारित वृद्धि के अनुसार जनपद के वार्षिक एम0जी0क्यू0 में वृद्धि कर जिला आबकारी अधिकारी वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु आबकारी नीति के अनुसार देशी मदिरा की दुकानों का वार्षिक एम0जी0क्यू0 निर्धारित करेंगे। इस प्रकार निर्धारित एम0जी0क्यू0 में वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए निर्धारित प्रति लीटर बेसिक लाइसेंस फीस रू0 22/– से गुणा करके दुकान की वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस आगणित की जायेगी जो नियमानुसार देय होगी। वार्षिक बेसिक लाइसेंस फीस के 1/10 धनराशि के बराबर धरोहर राशि आवेदन पत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट के रूप में देनी होगी। एम0जी0क्यू0 में वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए निर्धारित लाइसेंस फीस (प्रतिफल फीस) की दर रू0 159/–प्रति बल्क लीटर के दर से गुणा करके दुकान की वार्षिक लाइसेंस फीस (प्रतिफल फीस) आगणित की जायेगी, जो नियमानुसार अदा करनी होगी। वार्षिक लाइसेंस फीस के 1/10 धनराशि के बराबर प्रतिभूति धनराशि भी नियमानुसार जमा करनी होगी।

4) वर्ष 2012–13 के लिए विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लिए लाइसेंस फीस निर्धारण करने हेतु 32 रू0 प्रति बोतल (750 मि0ली0) लाइसेंस फीस का अधिभार निर्धारित किया गया है। विदेशी मदिरा की प्रत्येक फुटकर बिक्री की दुकान के माह नवम्बर–2011 तक के उपभोग के औसत के आधार पर वार्षिक अनुमानित उपभोग की गणना की जायेगी। दुकान के इस अनुमानित वार्षिक उपभोग को निर्धारित अधिभार रु0 32 प्रति बोतल (750 मि0ली0) से गुणा करके दुकान की वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी, जो नियमानुसार देय होगी किन्तु किसी विदेशी मदिरा दुकान की लाइसेंस फीस उसकी वर्ष 2011–12 की लाइसेंस फीस से कम नहीं होगी। माह मार्च 2012 में माह फरवरी, 2012 तक के उपभोग के आधार पर उक्त दुकान के अनुमानित वार्षिक उपभोग का आगणन करके दुकान की वार्षिक लाइसेंस फीस की पुनः गणना की जायेगी। इस प्रकार लाइसेंस फीस के अन्तर की धनराशि 15 मार्च तक जमा करायी जायेगी। प्रतिबंध यह होगा कि किसी भी विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान की वित्तीय वर्ष 2012–13 की लाइसेंस फीस रु0 40 लाख से अधिक नहीं होगी। लाइसेंस फीस की 1/10 भाग के बराबर (न्यूनतम रु0 5000) धरोहर धनराशि आवेदन के समय एवं निर्धारित प्रतिभूति धनराशि (न्यूनतम रु0 5000) नवीनीकरण/ चयन के बाद नियमानुसार जमा करनी होगी।

5) वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए बीयर की फुटकर बिक्री की दुकानों के लिए लाइसेंस फीस निर्धारण करने हेतु 7/– रू0 प्रति बोतल (650 मि0ली0) लाइसेंस फीस का अधिभार निर्धारित किया गया है। बीयर की प्रत्येक फुटकर बिक्री की दुकान के माह नवम्बर –2011 तक के उपभोग के औसत के आधार

महेश कुमार गुप्ता,
आई0ए0एस0,
आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश।

अत्यन्त महत्वपूर्ण /व्यवस्थापन–2012–13
कार्यालय 2642999 निवास 2622073
अर्द्ध शासकीय पत्रांकः **18319-93**/ दस–ला0–367/सुझाव आबकारी नीति/2012–13
दिनांकः इलाहाबाद : **26 नवम्बर**, 2011

प्रिय महोदय,

वर्ष 2011–12 व 2012–13 की आबकारी नीति के बारे में आबकारी अनुभाग–2 के शासनादेश सं0 584 ई–2/तेरह–2011–10/11 दिनांक 12–03–2011, शासनादेश संख्या 1609 ई–2/तेरह–2011–10/2011 दिनांक 29–07–2011 एवं शासनादेश सं0 2595 ई–2/तेरह–2011–10/2011 दिनांक 16–11–2011 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त तीनों शासनादेशों की छायाप्रतियॉं **संलग्नक–1, 2 व 3** के रुप में संलग्न है।

उपरोक्त शासनादेशों में अन्य बिन्दुओं के साथ–साथ देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर दुकानों, माडल शाप्स तथा भांग की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन के बारे में विस्तृत व्यवस्था दी गयी है। देशी मदिरा, विदेशी मदिरा, बीयर एवं भांग की दुकानों के व्यवस्थापन एवं मदिरा की आपूर्ति आदि के सम्बन्ध में उपरोक्त शासनादेशों में दिए गए निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्राविधान यथावत रहेगें। कृपया उपरोक्त व्यवस्थाओं का विस्तृत गहन अध्ययन करते हुए आगामी **वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिये** अपने–अपने अधिकारिता क्षेत्र में देशी मदिरा/विदेशी मदिरा/बीयर की फुटकर दुकानों, माडल शाप्स तथा भांग की फुटकर दुकानों का व्यवस्थापन कराने का कष्ट करें।

उपरोक्त शासनादेशों के कम में कार्यवाही करते समय कृपया निम्न व्यवस्थाओं/निर्देशों तथा समय सारिणी का अनुपालन सुनिश्चित करें :–

1. **देशी शराब का थोक/फुटकर विकय मूल्य :–**

देशी शराब के अधिकतम थोक / फुटकर विकय मूल्य वर्ष 2012–13 के लिए निम्नानुसार है:–

देशी शराब–सादा/मसालेदार (28 प्रतिशत वी/वी में)
अधिकतम थोक/ फुटकर विकय मूल्य रुपये में (वर्ष 2012–13 के लिये)

क्रमांक	धारिता (मि0ली0 में)	750	375	200	100
1	अधिकतम थोक विकय मूल्य	115.69	60.29	33.22	18.47
2	अधिकतम फुटकर विकय मूल्य	145	74	40	22

देशी शराब– मसालेदार (36 प्रतिशत वी/वी में)
अधिकतम थोक/ फुटकर विकय मूल्य रुपये में (वर्ष 2012–13 के लिये)

क्रमांक	धारिता (मि0ली0 में)	750	375	200	100
1	अधिकतम थोक विकय मूल्य	145.62	75.25	41.20	22.46
2	अधिकतम फुटकर विकय मूल्य	179	92	50	27

देशी शराब– मसालेदार (42.8 प्रतिशत वी/वी में)
अधिकतम थोक/ फुटकर विकय मूल्य रुपये में (वर्ष 2012–13 के लिये)

क्रमांक	धारिता (मि0ली0 में)	750	375	200	180	100
1	अधिकतम थोक विकय मूल्य	170.96	87.92	47.96	43.29	25.84
2	अधिकतम फुटकर विकय मूल्य	210	108	60	53	32

2. **दुकानों की संख्या में वृद्धि** :– वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए देशी शराब व विदेशी मदिरा की दुकानों तथा माडल शाप की वर्तमान संख्या में 15 प्रतिशत तथा बीयर की वर्तमान दुकानों की संख्या में 25 प्रतिशत तक की